उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस

(पुरुष/महिला)

प्लाटून कमाण्डर, PAC एवं अग्निशमन

(Second Officer)

(पुरुष)

ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2022-23

Best UPSI Guidebook!
एक मात्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित गाइड बुक जिसका गहन अध्ययन करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे Marks ला सकते हैं।

एक सम्पूर्ण
अध्ययन एवं अभ्यास पुस्तक

सामान्य हिन्दी | मूल विधि/संविधान/सामान्य ज्ञान | संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता | मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा

वर्ष 2021 व 2017 के पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी
- पाठ्यक्रम एवं विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित थ्योरी
- 2600+ महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न
- 2021 व 2017 के सॉल्व्ड पेपर्स

Code	Price	Pages	ISBN
CB1044	₹ 549	790	978-93-5561-556-5

विषय-सूची

Exam Information, Preparation Strategy and Current Affairs *पृष्ठ संख्या*

⊙ **Agrawal Examcart Help Centre** viii

⊙ **Best Strategy परीक्षा की तैयारी करने का सही तरीका!** ix

⊙ **Current Affairs! की 100% सटीक तैयारी कैसे करें ?** x

⊙ **Student's Corner** xi

- वर्ष 2022 की परीक्षाओं में पूछे गये सभी करेन्ट अफेयर्स के प्रश्न
- विगत 6 महीनों की समसामयिकी
- 4 प्रैक्टिस सेट्स
- आगामी 6 माह की परीक्षाओं का कैलेण्डर
- वर्ष 2022 में आयोजित परीक्षाओं के पेपर्स के Complete Video Solutions

⊙ **उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पिछले वर्षों के हल प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट** xii

⊙ **उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पी.ए.सी. एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न** xv

UNIT-1 : मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान 1-312

(क) मूलविधि

1. भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1-8
2. महिलाओं, बालकों तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान 9-12
3. मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 13-14
4. यातायात नियम एवं पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण 15-18
5. आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 19-22
6. भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी विधियाँ 23-32
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, आई.टी. अधिनियम एवं साइबर अपराध 33-36
8. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 37

(ख) संविधान

1. भारतीय संविधान 38-60

(ग) सामान्य ज्ञान

2. भारतीय इतिहास
   - ➢ प्राचीन भारत का इतिहास 61-73
   - ➢ मध्यकालीन भारत का इतिहास 74-85
   - ➢ आधुनिक भारत का इतिहास 86-102
   - ➢ भारतीय कला एवं संस्कृति 103-114

3. भूगोल
- भारत का भूगोल 115-134
- विश्व का भूगोल 135-161

4. भारतीय अर्थव्यवस्था 162-180
5. सामान्य विज्ञान
- भौतिक विज्ञान 181-198
- रसायन विज्ञान 199-211
- जीव विज्ञान 212-235

6. पर्यावरण 236-247
7. भारतीय कृषि 248-253
8. उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी 254-276
9. उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था 277-282
10. भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध 283-285
11. कम्प्यूटर कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी 286-312

UNIT-2 : सामान्य हिन्दी 1-98

1. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ 1-3
- हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान

2. हिन्दी व्याकरण 4-7
3. तत्सम एवं तद्भव शब्द 8-11
4. पर्यायवाची 12-14
5. विलोम शब्द 15-20
6. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 21
7. अनेकार्थक एवं समरूपी भिन्नार्थक शब्द 22-27
8. अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना 28-29
9. लिंग, वचन एवं कारक की भूमिका 30-34
10. सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय 35-42
11. उपसर्ग-प्रत्यय 43-47
12. संधि 48-55
13. समास 56-59
14. विराम चिह्न 60-61
15. मुहावरे एवं लोकोक्ति 62-64
16. रस 65-66
17. अलंकार 67-69
18. छन्द 70-76
19. अपठित बोध 77-81

20. उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और लेखक 82-85
21. हिन्दी भाषा में पुरस्कार 86-87
22. विविध 88-98

UNIT-3 : संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 99-274

(क) संख्यात्मक योग्यता परीक्षा

1. संख्या पद्धति 99-109
2. सरलीकरण 110-112
3. दशमलव एवं भिन्न 113-119
4. म.स.प. एवं ल.स.प. 120-125
5. अनुपात और समानुपात 126-130
6. प्रतिशतता 131-136
7. लाभ, हानि एवं छूट 137-143
8. साधारण ब्याज 144-146
9. चक्रवृद्धि ब्याज 147-151
10. भागीदारी 152-154
11. औसत 155-158
12. समय और कार्य 159-166
13. समय एवं दूरी 167-176
14. सारणी और ग्राफ का प्रयोग 177-193
15. मेंसुरेशन 194-205
16. क्रमचय एवं संचय 206-210
17. प्रायिकता 211-214
18. समुच्चय 215-218
19. विविध (आयु, मिश्रण, बीजगणित, ज्यामिति) 219-238

(ख) मानसिक योग्यता परीक्षा

1. तार्किक आरेख 239-242
2. संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण 243-246
3. प्रत्यक्ष ज्ञान बोध 247-250
4. शब्द रचना परीक्षण 251-252
5. अक्षर और संख्या श्रृंखला 253-255
6. शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता 256-259
7. व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण 260-262

8. आँकड़ों का तार्किक विश्लेषण 263-266
9. प्रभावी तर्क 267-270
10. अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना 271-274

UNIT-4 : मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा 275-433

(क) मानसिक अभिरुचि परीक्षा

1. जनहित 275-281
2. कानून एवं शान्ति व्यवस्था 282-286
3. साम्प्रदायिक सद्भाव 286-288
4. अपराध नियन्त्रण 289-298
5. विधि का शासन 298-301
6. अनुकूलन की क्षमता 301-303
7. व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की) 303-305
8. पुलिस प्रणाली 305-315
9. समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था 315-318
10. व्यवसाय के प्रति रुचि 318-319
11. मानसिक दृढ़ता 319-320
12. अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता 320-321
13. लैंगिक संवेदनशीलता 321-323

- साधित उदाहरण 324-329
- महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 329-340

(ख) बुद्धिलब्धि परीक्षा

1. सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण 341-345
2. असमान को चिह्नित करना 346-348
3. शृंखला पूर्ण करने का परीक्षण 349-352
4. संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना 353-357
5. दिशा ज्ञान परीक्षण 358-361
6. रक्त सम्बन्ध 362-365
7. वर्णमाला पर आधारित प्रश्न 366-370
8. समय-क्रम परीक्षण 371-375
9. गणितीय योग्यता परीक्षण 376-378
10. क्रम में व्यवस्थित करना 379-381

(ग) तार्किक परीक्षा

1. समरूपता/समानता 382-385

2.	भिन्नता	386-388
3.	खाली स्थान भरना	389-393
4.	समस्या को सुलझाना	394-401
5.	विश्लेषण निर्णय	402-407
6.	निर्णायक क्षमता	408-411
7.	दृश्य स्मृति	412-416
8.	अंकगणितीय तर्क	417-419
9.	अंकगणितीय संख्या श्रृंखला	420-423
10.	अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता	424-428
11.	विभेदन क्षमता	429-433

सॉल्व्ड पेपर्स

☆ उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक पुलिस आनलाइन परीक्षा, 2021 हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 02-12-2021 प्रथम पाली) 1-24

☆ उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक पुलिस आनलाइन परीक्षा, 2017 हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 12-12-2017 प्रथम पाली) 1-20

अध्याय
1

भारतीय संविधान

1. भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India)

भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना (1600 ई.) से मानी जा सकती है। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन गई। 1764 के बक्सर के युद्ध तथा 1765 की इलाहाबाद की संधि से तो कम्पनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वेसर्वा हो गई, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापारिक मामलों के साथ–साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा बनाये गये प्रमुख अधिनियमों का विवरण निम्नलिखित है–

I. 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट (1773 Regulating Act)

- कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर–जनरल कहा जाने लगा। बंगाल प्रेसीडेन्सी का पहला गवर्नर–जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
- इस एक्ट के अनुसार, **1774** में कलकत्ता में **चार सदस्यीय उच्चतम न्यायालय** गठित किया गया।

II. 1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट (1784 Pitts India Act)

- अधिनियम द्वारा **6** सदस्यों के एक नियन्त्रक मण्डल (बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल) की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी।

III. 1793 का चार्टर एक्ट (1793 Charter Act)

- इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को **20** वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया।

IV. 1813 का चार्टर एक्ट (1813 Charter Act)

- इस एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन **चीन से व्यापार** और **चाय के व्यापार** का एकाधिकार बना रहा।
- इस एक्ट के तहत एक लाख रुपये प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान हेतु रखा गया।

V. 1833 का चार्टर एक्ट (1833 Charter Act)

- इस एक्ट से **कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर** दिया गया।
- **बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल** बना दिया गया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिंक भारत के पहले गवर्नर–जनरल बने।

VI. 1853 का चार्टर एक्ट (1853 Charter Act)

- इसमें प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारम्भ किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई।

VII. भारतीय शासन अधिनियम, 1858 (Govt. of India Act 1858)

- इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कम्पनी के हाथों से निकालकर **'ब्रिटिश क्राउन'** के हाथों में सौंप दिया गया।
- भारत के गवर्नर–जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। **लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।**

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

1857 की महान क्रान्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में तीन नए अधिनियम पारित किये। 1861 का भारत परिषद् अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम था।

इस अधिनियम की विशेषताएँ इस प्रकार थीं :

1. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद् में गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में, लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों–बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
2. इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा शुरू हुई केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुँच गयी थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रान्तों को सम्पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तता हासिल हो गई।
3. बंगाल, उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।
4. इसने वायसराय को परिषद् में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान कीं। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी।
5. इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छः माह होती थी।

VIII. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिण्टो रिफॉर्म) (Indian Council Act, 1909)

- मार्ले भारत सचिव तथा मिण्टो वायसराय थे।
- इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल की सुविधा दी गई।

IX. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार) (Indian Council Act, 1919)

- मान्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
- इस अधिनियम के तहत केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई।
- **प्रांतीय द्वैधशासन की शुरुआत** इस एक्ट द्वारा की गई।

इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया।

X. भारत शासन अधिनियम, 1935 (Govt. of India Act, 1935)

- प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है।
- द्वैध शासन की व्यवस्था अब केन्द्र में लागू की गई है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष **1935** में **बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया** और उड़ीसा एवं सिंध दो नए प्रांत बनाए गए।

XI. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

- इस अधिनियम में दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए **15** अगस्त, **1947** की तारीख निर्धारित की गई।

2. संविधान सभा एवं भारतीय संविधान (Constituent Assembly & Indian Constitution)

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम. एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आन्दोलन के प्रखर नेता थे।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की माँग की।

  1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।
- नेहरू की इस माँग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन् 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- सन् 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए।
- इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था।
- क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की माँग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बाँट दिया जाए, जिनकी अपनी–अपनी संविधान सभाएँ हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की माँग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक सन्तुष्ट कर दिया।

I. संविधान सभा (Constituent Assembly)

- संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया।
- प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया।
- संविधान–निर्माण–निकाय की सदस्य संख्या **389** निर्धारित की गई। इसमें से **292 प्रतिनिधि** ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन **11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि,** चीफ कमीश्नरी के चार प्रांतों से **(**दिल्ली, अजमेर–मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान**)** तथा **93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों** से थे।
- भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं।
- जुलाई, **1946** में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित **(292+4) = 296** स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें **208** कांग्रेस तथा **73** सीट मुस्लिम लीग ने जीतीं।
- संविधान सभा का विधिवत **उद्घाटन 9 दिसंबर, 1946,** को हुआ। **9** दिसंबर, **1946** को **सच्चिदानंद सिन्हा** को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह संविधान सभा के अन्तरिम सभापति थे।
- **11 दिसंबर, 1946** को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- **एच. सी. मुखर्जी** को उपाध्यक्ष तथा **बी.एन. राव** को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- **जवाहरलाल नेहरू ने 13** दिसंबर, **1946** को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने **22** जनवरी, **1947** को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना।

  भारत का संविधान का प्रारूप कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन में लिखित रूप में तैयार हुआ।
- भारतीय संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद् संविधान है।
- भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।

संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ (Committees of the Constituent Assembly)

समिति	अध्यक्ष
नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अंबेडकर
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
रियासत समिति (देशी रियासतों से वार्ता के लिए)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झंडा समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

- **29** अगस्त, **1947** को संविधान के निर्माण हेतु **7** सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।
- महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान सभा के सांविधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर, **1947** में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें **243** अनुच्छेद एवं **13** अनुसूचियाँ थीं।
- प्रारूप संविधान **4** नवंबर से **9** नवंबर, **1948** को पुनः स्थापित हुआ (**प्रथम वाचन**)।
- संविधान के प्रारूप के उपबन्धों पर खण्डवार विचार **15** नवंबर, **1948** से **17** अक्टूबर, **1949** के मध्य हुआ। (दूसरा वाचन)
- **तीसरा वाचन 14** नवंबर, **1949** और **26** नवंबर, **1949** के बीच हुआ।
- **26** नवंबर, **1949** को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान, अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया जिस पर **284** सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस समय संविधान में **22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं।**
- संविधान के निर्माण में कुल **2 वर्ष, 11 माह** एवं **18 दिन** का समय लगा था। इस दौरान कुल **12 अधिवेशन** हुए थे।
- संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से सम्बन्धित कुल **16** अनुच्छेदों **(**अनुच्छेद – **5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393,** तथा **394)** को **26** नवंबर, **1949** को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद **26** जनवरी, **1950** को लागू हुए।
- **42**वें संविधान संशोधन अधिनियम, **1976** के द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' एवं अखण्डता' शब्द जोड़े गए।
- प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
- सर्वोच्य न्यायालय ने केशवानन्द भारती *बनाम* केरल राज्य वाद, **1973** ई. में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है।

भारतीय संविधान के भाग (Parts in Indian Constitution)

भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जिनका वर्णन इस संविधान के 22 भागों में किया गया है–

भाग 1	संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2	नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3	मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)
भाग 4	राज्य के नीति–निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)
भाग 4 (क)	मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51- क)
भाग 5	संघ (अनुच्छेद 52 - 151)
भाग 6	राज्य (अनुच्छेद 152-237)
भाग 7	पहली अनुसूची के भारत के राज्य [अनुच्छेद 238 संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित)]
भाग 8	संघ राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9	पंचायत (अनुच्छेद 243 क से 243 ण)
भाग 9 क	नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243 त से 243 य छ)
भाग 10	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 एवं 244-क)
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245–263)
भाग 12	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264–300 क)
भाग 13	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301–307)
भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)
भाग 15	निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329 क)
भाग 16	कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330–342)
भाग 17	राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)
भाग 18	आपात उपबंध (अनुच्छेद 352–360)
भाग 19	प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण) (अनुच्छेद 361–367)
भाग 20	संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)
भाग 21	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369–392)
भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)

संविधान की अनुसूचियाँ
(Schedules in the Constitution)

संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार हैं–

प्रथम अनुसूची–	इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। **नोट :** जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है।
द्वितीय अनुसूची–	इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उप–सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् के सभापति और उप–सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है।
तृतीय अनुसूची–	इसमें विभिन्न पदधारियों (राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, मन्त्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।

चतुर्थ अनुसूची–	इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पाँचवीं अनुसूची–	इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची–	इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची–	इसमें संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)के विषयों का उल्लेख किया गया है।
आठवीं अनुसूची–	इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है : 1. असमिया 2. बांग्ला 3. बोडो 4. गुजराती 5. हिन्दी 6. कन्नड़ 7. कश्मीरी 8. कोंकणी 9. मलयालम 10. मणिपुरी 11. मराठी 12. नेपाली 13. उड़िया 14. पंजाबी 15. संस्कृत 16. सिन्धी 17. तमिल 18. तेलुगू 19. उर्दू 20. डोगरी 21. मैथिली 22. संथाली
नवीं अनुसूची–	इसमें राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया।
दसवीं अनुसूची–	इसमें दल–बदल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है। 52वाँ संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया।
ग्यारहवीं अनुसूची–	इस अनुसूची के आधार पर 'पंचायती राजव्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा।
बारहवीं अनुसूची–	इन अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा।

3. भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत
(Major Sources of Indian Constitution)

- संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उन संविधानों के जो तत्व भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे, उनको भारतीय संविधान के लिए ग्रहण किया गया।

विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिये गये आदर्श

देश	आदर्श
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, संसद तथा विधान मण्डल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संसदीय विशेषाधिकार। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, लोक सभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व।
अमेरिका	मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियाँ, उप–राष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात काल, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकजनहित याचिका, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्व ारा अनुमोदन का प्रावधान।
आयरलैण्ड	राज्य के नीति–निदेशक तत्व, राज्य सभा में कुछ (12) सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
जर्मनी	आपात उपबन्ध।
कनाडा	संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास, राज्यों में राज्यपाल की केन्द्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णय, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना।
पूर्व सोवियत संघ	मौलिक कर्त्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श।
फ्रांस	गणतन्त्रात्मक, शासन प्रणाली स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धान्त
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियों का विभाजन।
जापान	अनुच्छेद–21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।

संविधान की विशेषताएँ : एक दृष्टि में

- विशालतम एवं विस्तृत संविधान
- लिखित संविधान
- प्रभुत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
- संसदीय शासन प्रणाली
- मूल अधिकार
- मूल कर्त्तव्य
- नीति निर्देशक तत्त्व
- स्वतंत्र न्यायापालिका

- केन्द्राभिमुख संविधान
- एकल नागरिकता
- वयस्क मताधिकार
- संविधान की सर्वोच्चता
- वयस्क मताधिकार
- आपातकालीन उपबन्ध
- ग्राम पंचायतों की स्थापना

4. संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था।

- भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका बना।
- उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढाँचे के अलावा किया जा सकता है।
- मूल उद्देशिका में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था।
- उद्देशिका में **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखण्डता** आदि शब्द संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गये। अभी तक उद्देशिका में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है।
- समाजवादी शब्द जिसको उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जिसमें बताया गया कि भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है।
- संविधान की प्रस्तावना सामान्य तथा विशेष किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है।
- पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ–निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है।
- 1976 ई. में यथा संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार हैं–

  "**हम, भारत के लोग,** भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को **सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतन्त्रता,** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए तथा उन **सब में व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित** करने वाली **बन्धुता बढ़ाने के लिए** दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज दिनांक **26 नवम्बर, 1949 ई.** (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, **संवत् दो हजार छः विक्रमी**) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**"
- भारतीय संविधान में यह घोषणा प्रस्तावना में की गयी है कि 'भारत के लोग' संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राजव्यवस्था लोकतन्त्रात्मक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मदन गोपाल वाद (1954) में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
- इन री बेरुबारी (1960) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किन्तु यह संविधान का अंग नहीं है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
- 1973 में, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है तथा मूल ढाँचा बदले बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
- उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात् इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।
- न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ *बनाम* पंजाब राज्य के प्रकरण में **उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा** कहा है। यद्यपि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** ' (अनुच्छेद 32) है।
- के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को **राजनीतिक जन्मपत्री (Political Horoscope)** की संज्ञा प्रदान की है।
- 'हम भारत के लोग' का तात्पर्य भारत की जनता है, वही शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द 'हम संयुक्त राष्ट्र के लोग' के समरूप है।

5. संघ एवं राज्य क्षेत्र (Union and its Territory)

I. भाग I (अनुच्छेद 1-4)

(i) अनुच्छेद–1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत, अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा।

प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय राज्य क्षेत्र में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं।

(ii) अनुच्छेद–2 संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

(iii) अनुच्छेद–3 संसद भारतीय सीमा के अन्तर्गत वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद–3 के अन्तगर्त नये राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद–2 के अन्तर्गत राज्यों की स्थापना नये राज्य क्षेत्र को अर्जिज करके की जा सकती है। इन परिवर्तनों को करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति लेकर इससे सम्बन्धित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है।

(iv) अनुच्छेद–4 यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 में किए गए संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माने जायेंगे।

- भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अण्डमान निकोबार है।

II. राज्यों का गठन (Establishment of The States)

- भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि 1953 में आन्ध्र प्रदेश का गठन भाषायी आधार पर किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य है।
- 22 दिसंबर, 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 संसद द्वारा पारित किया गया।

1960 से 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे एवं नाम में परिवर्तन

वर्ष	नए राज्य की संख्या एवं नाम व उनके क्रम		पुनर्गठित/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
1960	15वाँ	गुजरात	मुम्बई
1963	16वाँ	नगालैंड	असम
1966	17वाँ	हरियाणा	पंजाब
1969	18वाँ	मेघालय	असम
1971	19वाँ	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)
1972	20वाँ	मणिपुर	मणिपुर (संघ राज्य प्रदेश)
1975	22वाँ	सिक्किम	सिक्कम (सहयोगी राज्य)
1987	23वाँ	मिजोरम	मिजोरम (संघ राज्य क्षेत्र)
1987	24वाँ	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)
1987	25वाँ	गोवा	गोवा (संघ राज्य क्षेत्र)
2000	26वाँ	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश
2000	27वाँ	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश
2000	28वाँ	झारखंड	बिहार
2014	29वाँ	तेलंगाना	आन्ध्र प्रदेश

वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने अनुच्छेद–370 को समाप्त कर जम्मू–कश्मीर राज्य का निशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। अब जम्मू–कश्मीर का विभाजन करके जम्मू–कश्मीर व लद्दाख दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गये हैं।

6. नागरिकता (Citizenship)

I. नागरिकता का अर्थ (Meaning of Citizenship)

- भारतीय संविधान के भाग–2 (अनुच्छेद 5-11) में नागरिकता का वर्णन है।
- लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है।

  भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

II. नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)

अनुच्छेद 11 के अनुसार, नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अधीन भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से अर्जित की जा सकती है–

(i) जन्म के द्वारा नागरिकता

(ii) देशीकरण द्वारा नागरिकता

(iii) वंश परम्परा द्वारा नागरिकता

(iv) पंजीकरण द्वारा नागरिकता

(v) अर्जित भू-भाग के विलियन द्वारा नागरिकता।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के अन्तर्गत 21 दिन के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटना को पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।

III. नागरिकता की समाप्ति (End of Citizenship)

अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त हो सकती है–

(i) परित्याग (स्वयं त्यागना)

(ii) पर्यवसान (अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना)

(iii) वंचित करना

7. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- भारतीय संविधान के भाग–**3** (अनु. **12-35**) में मौलिक अधिकार का वर्णन है।
- मौलिक अधिकार लोगों को राज्य के विरुद्ध प्रदत्त प्रत्याभूति (गारंटी) है। अतः इनकी प्रकृति प्रायः नकारात्मक है।
- मौलिक अधिकार, **संयुक्त राज्य अमेरिका** के संविधान के अधिकार–पत्र **(Bill of Rights)** से लिया गया है।
- प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूलतः सात मौलिक अधिकार थे, जो वर्तमान में छः हैं।
- 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार (अनु. 19(f) तथा 31) को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया।
- वर्तमान समय में सम्पत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।
- मौलिक अधिकार 'वाद–योग्य' है।
- मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **मूल अधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Fundamental Rights)**–मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित है–

I. समता का अधिकार (Right to Equality)

(i) विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)

(ii) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)

(iii) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)

(iv) अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)

(v) उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)

II. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

(i) अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है–

(ii) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)

(iii) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

(iv) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 क)

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** उपलब्ध कराएगा।

(v) कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)

III. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

(i) मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)

(ii) कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)

IV. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

(i) अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

(ii) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)

(iii) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)

(iv) कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

V. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

(i) अल्पसंख्यक– वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)

(ii) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)

VI. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) :

- **अनुच्छेद 32 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** ने इसे **'संविधान का हृदय तथा आत्मा'** की संज्ञा दी है।

  अनुच्छेछ 32 के अनतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के सम्बन्ध में निदेश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान में पाँच प्रकार की रिट का उल्लेख है–

  (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

  (ii) परमादेश (Mandamus)

  (iii) प्रतिषेध (Prohibition)

  (iv) उत्प्रेरण (Certirari)

  (v) अधिकार–पृच्छा (Quo-Warranto)

- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए हैं। शेष सभी अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है।

VII. अनुच्छेद 33 (Article 33)

संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है।

VIII. अनुच्छेद 34 (Article 34)

जब भारत में कहीं मार्शल लॉ (सेना विधि) लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है।

IX. अनुच्छेद 35 (Article 35)

संसद को कुछ मूल अधिकारों (अनुच्छेद 16, 32, 33, 34) को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकर थे, किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक आधार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब यह अधिकार संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 क के तहत केवल कानूनी अधिकार के रूप में ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

8. राज्य के नीति-निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

- भारतीय संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है।
- राज्य के नीति–निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के प्रमुख तत्व हैं। भारत में नीति–निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति–निदेशक तत्व का प्रमुख लक्ष्य जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
- नीति–निदेशक तत्व, वस्तुतः राज्य के कर्तव्य हैं और प्रकृति से राज्य के प्रति सकारात्मक हैं।
- नीति निदेशक तत्व निम्नवत् हैं–
- राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। (अनुच्छेद-38)

  अन्य शब्दों में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रणित करें, भरसक, प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
- सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। (अनुच्छेद-39)
- समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। (अनुच्छेद-39 A)
- राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। (अनुच्छेद-40)
- काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार। (अनुच्छेद-41)
- काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। (अनुच्छेद-42)
- राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर आदि बढ़ाने का प्रयास। (अनुच्छेद-43)
- उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। [42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया।] (अनुच्छेद-43 A)
- एक समान सिविल संहिता। (अनुच्छेद-44)

- 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। (अनुच्छेद-45)
- जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा। (अनुच्छेद-46)
- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास, मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध। (अनुच्छेद-47)
- कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक। (अनुच्छेद-48)
- देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया)। (अनुच्छेद-48 A)
- राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। (अनुच्छेद-49)
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। (अनुच्छेद-50)
- अंतर्राष्ट्रीय शाँति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। (अनुच्छेद-51)

9. मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

- भारतीय संविधान के **भाग-4 क (अनुच्छेद 51 क)** में मौलिक कर्त्तव्य का वर्णन है।
- मौलिक कर्त्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** (1976) की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्त्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी **संख्या 11** है।
- **अनुच्छेद 51 क** –भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–
  - (i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;
  - (ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें;
  - (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें;
  - (iv) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;
  - (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
  - (vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करे;
  - (vii) प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;
  - (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;
  - (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें;
  - (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें;
  - (xi) 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। **(86वाँ संविधान, 2002)**

10. संघ की कार्यपालिका (Union Executive)

संविधान के भाग V के अनुच्छेद 52 से 78 तक, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।

I. राष्ट्रपति (President)

अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। **राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है।**

- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर पाँच वर्षों तक होता है। **(अनुच्छेद 56(1))**
- एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। **(अनुच्छेद 57)**
- कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप–राष्ट्रपति को दे सकता है। **(अनुच्छेद 56(1) क)**
- राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय **उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** या उसकी अनुपस्थिति में **ज्येष्ठतम न्यायाधीश** के समक्ष शपथ लेता है। **(अनुच्छेद 60)**
- संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। **(अनुच्छेद 61)**
- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम–से–कम 7 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है।
- **राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार** 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति न तो केन्द्रीय विधायिका का सदस्य होता है और न ही राज्य विधायिका का।

अनुच्छेद 75 (1)``` में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा तत्पश्चात् प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

भारत के राष्ट्रपति (President of India)

राष्ट्रपति का नाम	कार्यावधि
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950-13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962-13 मई, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई, 1967-03 मई, 1969
वी. वी गिरि (कार्यवाहक)	3 मई, 1969 - 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 - 24 अगस्त, 1969
वी. वी गिरि	24 अगस्त, 1969 - 24 अगस्त, 1974
फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 - 11 फरवरी, 1977
बी. डी. जत्ती (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 - 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 - 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 - 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987 - 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 - 25 जुलाई, 1997
के. आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997 - 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 - 25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007 - 25 जुलाई, 2012
प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 - 25 जुलाई, 2017
रामनाथ कोविन्द	25 जुलाई, 2017 से पदस्थ

- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद–76) राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यन्त अपने पद पर बना रह सकता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जाँच **उच्चतम न्यायालय** द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रावसान एवं विघटन कराता है (अनुच्छेद 85)। वह संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है (अनुच्छेद 108)।
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्य सभा के लिए (अनुच्छेद 80) एवं एंग्लो–इंडियन समुदाय से दो व्यक्तियों का लोकसभा के लिए (अनुच्छेद 331) मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन से एंग्लों भारतीय सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है।
- धन विधेयक (अनुच्छेद 110) राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वह केन्द्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बँटवारे के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है **(अनुच्छेद 280)**।
- वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है, परन्तु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है **(अनुच्छेद 143)**।
- **अनुच्छेद 72** के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है या दण्ड में क्षमादान, प्राणदण्ड का स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है–
- अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है।
- संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं–
  - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  - राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
  - वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- **अनुच्छेद 123** के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
- संसद के पुन सत्रारम्भ पर यह अध्यादेश **6 सप्ताह** के अन्दर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा।

- राष्ट्रपति का वेतन **₹ 5 लाख प्रति माह** और पेंशन **₹ 9** लाख वार्षिक है।
- भारत का प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक–महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उप-राज्यपाल एवं प्रशासक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

वीटो–लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है **रोकना।** भारतीय संविधान द्वारा **राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गयी है,** किन्तु संवैधानिक परम्परा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। (अनुच्छेद 111)

1. **आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)**—जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी **अनुमति नहीं देता है** तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे **आत्यांतिक वीटो** या **पूर्ण वीटो** कहा जाता है। सामान्यतया इस वीटो शक्ति का प्रयोग **गैर-सरकारी विधेयकों के** सम्बन्ध में किया जाता है।
   - राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमण्डल के इच्छाधीन होती है।
   - सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग पीई पीए एसयू विनियोग विधेयक के मामले में, भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 1954 में किया गया था।
2. **निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)**—अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को (धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय) संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लौटाये जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलम्बन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिये जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अतः इसे निलम्बनकारी वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के 'वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक' के सम्बन्ध में किया था। तत्पश्चात् 1997 में डॉ. के. आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथा 2006 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 'सांसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक' के सम्बन्ध में इस शक्ति का प्रयोग किया था।
3. **पॉकेट वीटो (Poket Veto)**—संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय–सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तब वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में 'भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक' के सम्बन्ध में किया था। ध्यातव्य है कि यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था।

II. उप-राष्ट्रपति (Vice President)

- अनुच्छेद–63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उप-राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद–64 के तहत उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
- संविधान में उप-राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
- राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उप-राष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालता है, किन्तु 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हो जाना चाहिए।
- अनुच्छेद–66(3) में उप-राष्ट्रपति पद के लए उम्मीदवार ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यह आवश्यक है।
- अनुच्छेद–**69** के तहत उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शपथ दिलाता है।
- उप-राष्ट्रपति का वेतन **₹ 4 लाख** है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
- अनुच्छेद 67 के अनुसार उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है।
- उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है।
- उप-राष्ट्रपति को हटाये जाने का प्रस्ताव राज्य सभा में लाए जाने पर उसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उप–राष्ट्रपति को भेजी जाती है।
- उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत) भाग लेते हैं।
- निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है।
- उप-राष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति (Vice President of India)

नाम	कार्यकाल
सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952–1962
जाकिर हुसैन	1962–1967
वी. वी. गिरि	1967–1969
गोपाल स्वरूप पाठक	1969–1974
बी. डी. जत्ती	1974–1979
न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला	1979–1984
आर. वेंकटरमण	1984–1987
शंकर दयाल शर्मा	1987–1992

नाम	कार्यकाल
के. आर. नारायण	1992–1997
कृष्ण कांत	1997–2002
भैरों सिंह शेखावत	2002–2007
डॉ. हामिद अंसारी	2007–2017
वेंकैया नायडू	2017

III. प्रधानमन्त्री एवं उसकी मन्त्रिपरिषद् (Prime Minister & His Cabinet)

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् का संक्षिप्त वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में दिया गया है।

- राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
- **प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है** और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि मंत्रिपरिषद् को शामिल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।
- मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे।
- भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय का प्रमुख सचिव इसका सवोच्च अधिकारी होता है।

IV. मन्त्रियों की श्रेणियाँ (Classes of Ministers)

(i) कैबिनेट मंत्री
(ii) राज्यमंत्री
(iii) उपमंत्री

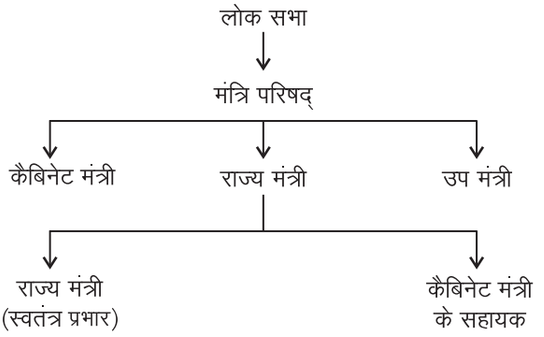

भारत के प्रधानमंत्री (Prime Ministers of India)

नाम	कार्यकाल	टिप्पणी
जवाहरलाल नेहरू	15 अगस्त, 1947–27 मई, 1964 प्रथम प्रधानमंत्री	सबसे लंबा कार्यकाल, कार्यकाल में मरने वाले
गुलजारी लाल नंदा	27 मई, 1964–9 जून, 1964	प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री	9 जून, 1964–11 जनवरी, 1966	विदेश (ताशकंद) में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
गुलजारी लाल नंदा	11 जनवरी, 1966–24 जनवरी, 1966	कार्यवाहक प्रधानमंत्री
इन्दिरा गाँधी	24 जनवरी, 1966–24 मार्च 1977	प्रथम महिला प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई	24 मार्च, 1977–28 जुलाई, 1979	सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह	28 जुलाई, 1979–14 जनवरी, 1980 प्रधानमंत्री	कभी लोक सभा का सामना न करने वाले
इन्दिरा गाँधी	14 जनवरी, 1980–31 अक्टूबर, 1984	प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई
राजीव गाँधी	31 अक्टूबर, 1984–1 दिसम्बर, 1989	सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री
वी. पी. सिंह	2 दिसम्बर, 1989–10 नवंबर, 1990	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
चन्द्रशेखर	10 नवबंर, 1990–21 जून, 1991	अपने प्रधानमंत्री काल में लोक सभा के सदस्य थे।
पी. वी. नरसिम्हा राव	21 जून, 1991–16 मई, 1996	दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं, बाद में नांदयाल लोक सभा सीट से जीते।
अटल बिहारी वाजपेयी	16 मई, 1996–1 जून, 1996	न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री (13दिन)

नाम	कार्यकाल	टिप्पणी
एच. डी. देवगौड़ा	1 जून, 1996–21 अप्रैल, 1997	पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे।
आई. के. गुजराल	21 अप्रैल, 1997–18 मार्च, 1998	राज्य सभा से प्रधानमंत्री बने।
अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च, 1998–13 अक्टूबर, 1999	————————
अटल बिहारी वाजपेयी	13 अक्टूबर, 1999–21 मई, 2004	————————
डॉ. मनमोहन सिंह	22 मई, 2004–21 मई, 2009	राज्य सभा से प्रधानमंत्री बने, प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने
डॉ. मनमोहन सिंह	22 मई, 2009–26 मई, 2014	————————
नरेन्द्र मोदी	26 मई, 2014 से अभी तक	————————

संविधान में उप–प्रधानमंत्री नामक कोई पद नहीं है, फिर भी राजनीतिक रूप से आठ **(8)** व्यक्तियों को उप–प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्ष **1947** में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप–प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष **1979** में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दो उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किये थे। जगजीवन राम (कनिष्ठ) एवं चौ. चरण सिंह (वरिष्ठ)। अन्तिम उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी **(2002)** थे। सन् 2002 के पश्चात् अभी तक किसी भी व्यक्ति को उप-प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया है।

V. भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General)

- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के भाग–5 के अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है, जिसके अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जो देश के राज्यों और केन्द्र दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा।
- महालेखा परीक्षक की पदावधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने या पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक होगी।
- वह किसी भी समय स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है।
- भारत के महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है।
- CAG जनता के धन के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

VI. भारत का महान्यायवादी (The Attorney General of India) (अनुच्छेद 76)

- राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो।
- वह भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता है।
- उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
- वह राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यंत पद धारण करता है।
- उसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है (अनुच्छेद 88)।

11. संसद (Parliament)

I. संसद का गठन (Composition of the Parliament)

अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की **संसद के तीन अंग** हैं–**राष्ट्रपति, लोकसभा** एवं **राज्यसभा**।

- भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल, 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को किया गया था।
- राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक स्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्य सभा की अधिकतम संख्या **250** निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं **(अनुच्छेद 80)** जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं।
- वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं,
- अनुच्छेद **80 (3)** के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के आधार पर होता है।
- इसके सदस्य **6** वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा एक–तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। **(अनुच्छेद 83 (1))**।
- **राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है।**

राज्यसभा में स्थानों का आवंटन (चौथी अनुसूची) (Allocation of Seats in Rajya Sabha)

राज्य	सीटों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	11
बिहार	16
गोवा	1
हरियाणा	5
मध्य प्रदेश	11

राज्य	सीटों की संख्या
तमिलनाडु	18
कर्नाटक	12
पंजाब	7
उत्तर प्रदेश	31
पश्चिम बंगाल	16
नगालैण्ड	1
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
तेलंगाना	7
पुदुचेरी	1
असम	7
झारखण्ड	6
गुजरात	11
केरल	9
छत्तीसगढ़	5
महाराष्ट्र	19
ओडिशा	10
राजस्थान	10
उत्तराखण्ड	3
जम्मू-कश्मीर	4
हिमाचल प्रदेश	3
त्रिपुरा	1
सिक्किम	1
अरुणाचल प्रदेश	1
दिल्ली	3

- सभापति अपना त्यागपत्र उप-सभापति को तथा उप-सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।
- भारतीय संसद के निम्न सदन को लोक सभा कहा जाता है। यह भारतीय संसद का प्रथम सदन है।
- अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।
- लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या **1971** की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है, जो **2026** तक यथावत् बनी रहेगी।
- 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
- लोकसभा का अधिवेशन गणित करने हेतु गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्यों का दसवाँ भाग होता है।
- **लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है।** इनमें **530** सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल–भारतीय सदस्य (अनुच्छेद 331) होते हैं, लेकिन **वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 540** है।
- **लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है।**

संसद की विभिन्न समितियाँ (Various Committees of the Parliament)

समिति	कुल सदस्य संख्या	लोकसभा से	राज्यसभा से	कार्य
लोक लेखा समिति	22	15	7	विभिन्न मन्त्रालयों के व्यय और नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श।
प्राक्कलन समिति	30	30	—	सरकार को वित्तीय समिति नीतियों के सम्बन्ध में सुझाव देती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है।
सार्वजनिक उपक्रम समिति	15	10	5	सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा करती है।
विशेषाधिकार समिति	15	10	5	संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से सम्बन्धित प्रेषित मामलों का परीक्षण करती है।
प्रवर समिति (दोनों सदनों के लिए अलग–अलग)	30-30	30	30	विधेयकों की समीक्षा करना
संयुक्त प्रवर समिति	45	30	15	विधेयकों की समीक्षा करना
कानून समिति	15	—	—	नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा

लोकसभा में स्थानों का आवंटन (सत्रहवीं लोकसभा के अनुसार)
(Allocation of Seats in Lok Sabha)

राज्य	स्थान	राज्य	स्थान
आन्ध्र प्रदेश	25	राजस्थान	25
अरुणाचल प्रदेश	2	सिक्किम	1
उत्तराखण्ड	5	तमिलनाडु	39
बिहार	40	कर्नाटक	28
गोवा	2	केरल	20
गुजरात	26	त्रिपुरा	2
छत्तीसगढ़	11	उत्तर प्रदेश	80
झारखंड	14	पश्चिम बंगाल	42
हरियाणा	10	**योग**	**524**
हिमाचल प्रदेश	4	**संघ राज्य क्षेत्र**	
मध्य प्रदेश	29	दिल्ली	7
महाराष्ट्र	48	अण्डमान और निकोबार	1
मणिपुर	2	चंडीगढ़	1
मेघालय	2	दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव	2
मिजोरम	1		
नगालैंड	1	लक्षद्वीप	1
ओडिशा	21	पुदुचेरी	1
पंजाब	13	जम्मू कश्मीर	5
असम	14	लद्दाख	1
तेलंगाना	17	**योग**	**19**
		कुल योग = 543	

- लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। **42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया था,** लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे फिर से पाँच वर्ष कर दिया गया है।
- प्रोटेम स्पीकर नव–निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को अपना त्याग–पत्र देता है।
- अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय अन्तिम होता है।
- यदि कोई सांसद सदन के बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे सदन से निलम्बित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के **दसवें भाग** की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थापित कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करना।

संसद के सत्र (Sessions of Parliament)

(a) बजट सत्र (Budget Session) : फरवरी से मई तक यह वर्ष का पहला सत्र होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यह सबसे लंबा सत्र होता है।

(b) मानसून सत्र (Monsoon Session) : जुलाई से सितम्बर तक।

(c) शीतकालीन सत्र (Winter Session) : नवम्बर से दिसम्बर तक यह सबसे छोटा सत्र होता है।

12. न्यायपालिका (Judiciary)

न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।

I. उच्चतम् न्यायालय (Supreme Court)

संविधान के **भाग V** में **अनुच्छेद 124 से 147** तक उच्चतम् न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। भारत का सर्वोच्च या उच्चतम् न्यायालय दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।

अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार प्रारम्भ में उच्चतम् न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश थे, **वर्तमान में 27 न्यायाधीश हैं (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) तथा सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीश पीठासीन हो सकते हैं।**

- उच्चतम् न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है या कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है।
- पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है।
- उच्चतम् न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है।
- न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार, उच्चतम् न्यायालय का न्यायाधीश संसद द्वारा कदाचार साबित होने पर हटाया जा सकता है।

उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो कि भारत की संचित निधि (Consoliated Fund of India) पर भारित होता है। **वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ₹ 2.80 लाख प्रतिमाह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन ₹ 2.50 लाख प्रतिमाह है।**

II. उच्च न्यायालय (High Court)

संविधान के **अनुच्छेद 214** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार, संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या दो राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केन्द्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय का गठन (Composition of the High Court)

- संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। **गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात् 3 है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक 59 है।**
- बोम्बे, मद्रास और कलकत्ता में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
- **अनुच्छेद 217 (2)** के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उम्मीदवार ने भारत में कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो।
- **अनुच्छेद 217 (1)** के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं।
- **अनुच्छेद 219** के अनुसार, पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

13. राज्य की कार्यपालिका (State Executive)

I. राज्यपाल (Governor)

- संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- **सामान्यत:** प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 156 (1))। अनुच्छेद 156 (2) के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकता है।
- राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार **35** वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो यह आवश्यक है।
- वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता।
- संविधान के **अनुच्छेद 159** के अन्तर्गत राज्यपाल **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** या **वरिष्ठतम् न्यायाधीश** के समक्ष पद ग्रहण करता है।
- वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता।
- राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श लेता है।
- राज्यपाल **आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को विधान सभा में** मनोनीत कर सकता है। 104वें संशोधन 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
- द्विसदनीय विधानमण्डल में राज्यपाल विधान परिषद् में कुछ सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान का अनुभव है **[अनुच्छेद 171(5)]**।
- उसे राज्य विधान सभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधान सभा को भंग करने का अधिकार है **(अनुच्छेद 174)**।
- अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत वह राज्य विधान सभा का विघटन कर सकता है।
- **अनुच्छेद 213 के अनुसार :** जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हैं, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संदर्भ में उक्त शक्ति तथा मृत्यु दण्ड की स्थिति में क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।
- अनुच्छेद **161** के अनुसार, के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद **162** का सम्बन्ध राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से है।
- अनुच्छेद **164** के अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

II. मुख्यमंत्री (Chief Minister)

मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता हो।

- राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता है।
- **योग्यताएँ (Eligibilities)**–वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया न हो एवं संसद द्वारा समय–समय पर निर्धारित योग्यताओं को पूरी करता हो।

III. महाधिवक्ता (Advocate General)

- **अनुच्छेद 165** के अनुसार, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- **अनुच्छेद 177** के अनुसार, महाधिवक्ता राज्य विधानमण्डल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।

14. राज्य का विधान मंडल (Legislature of the State)

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमण्डल के संगठन, गठन, कार्य, कार्यकाल, शक्तियों आदि का वर्णन है। किसी राज्य के विधानमण्डल में एक सदन या दो सदन हो सकते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमण्डल है–उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना।

- संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद् के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है।
- विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता परन्तु उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- उच्च सदन विधान परिषद् एवं निम्न सदन विधान सभा कहलाता है।

  विधान परिषद् एक स्थायी निकाय है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परन्तु इसके एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं। विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल **6** वर्ष का होता है। विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
- अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती।

  विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से–

  (i) 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे–नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं।

  (ii) 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिनको कम से कम 3 वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो ।

  (iii) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापक करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।

  (iv) 1/3 भाग विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

  (v) शेष (1/6) राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा का व्यावहारिक अनुभव हो।

  - विधान परिषद् का सदस्य बनने हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक है।
  - सभापति, उपसभापति को सम्बोधित कर एवं उपसभापति, सभापति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन विधान सभा कहलाता है।
- विधान सभा सदस्य के लिए आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
- राज्यपाल द्वारा एवं राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान इसे पाँच वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
- विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम–से–कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- विधानसभा की बैठक एक वर्ष में कम–से–कम दो बार अवश्य होनी चाहिए एवं इन बैठकों के मध्य का अन्तराल छः माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
- विधान सभा के सदस्यों की **अधिकतम संख्या 500** और **न्यूनतम 60** हो सकती है। **(अपवाद : गोवा : 40, मिजोरम : 40, पुदुचेरी : 30, सिक्किम : 32)**
- **राज्य विधान सभा की अवधि 5 वर्ष होती है,** परन्तु राज्यपाल इसे मध्य में भी विघटित कर सकता है।
- यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है **(अनुच्छेद 190(4))**।
- विधान सभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। (अनुच्छेद 178) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है **(अनुच्छेद 179)**।
- सदन के कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग या कम से कम दस सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है **(अनुच्छेद 189)**।
- धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 198) धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है।

राज्य विधानमण्डल में सदस्यों की संख्या
(Members in State Legislature)

राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
अरुणाचल प्रदेश	60	–
असम	126	–
आन्ध्र प्रदेश	175	58
तेलंगाना	119	40
उत्तर प्रदेश	404	100
उत्तराखण्ड	70	–
ओडिशा	147	–
केरल	140	–
कर्नाटक	224	75
गोवा	40	–
गुजरात	182	–
छत्तीसगढ़	90	–

राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
झारखण्ड	81	–
तमिलनाडु	234	–
नगालैण्ड	60	–
पंजाब	117	–
पश्चिम बंगाल	294	–
बिहार	243	75
मध्य प्रदेश	230	–
मिजोरम	40	–
महाराष्ट्र	288	78
मेघालय	60	–
मणिपुर	60	–
राजस्थान	200	–
सिक्किम	32	–
हरियाणा	90	–
हिमाचल प्रदेश	68	–
त्रिपुरा	60	–
केन्द्रशासित प्रदेश		
दिल्ली	70	–
पुदुचेरी	30	–
जम्मू एवं कश्मीर	114	–

15. पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ (Panchayati Raj and Municipalities)

- स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लार्ड रिपन को माना जाता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 40** में यह निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन का प्रावधान करेगा।
- लोकतंत्र की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी।
- बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** ने **2 अक्टूबर, 1959** को **राजस्थान के नागौर** में किया था।
- 73वें संविधान संशोधन, 1992 का सम्बन्ध पंचायतों से है।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 243 त से 243 यछ एवं अनुसूची 12 को जोड़ा गया है।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 (1) के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष पर 'वित्त आयोग' का गठन करता है।
- नगरीय शासन से सम्बन्धित संस्थाएँ तीन प्रकार की हैं :
  - (i) नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
  - (ii) नगर परिषद् छोटे नगर क्षेत्र के लिए।
  - (iii) नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
- 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में दो या दो से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों की स्थापना आवश्यक है।

16. संघ और राज्यों के मध्य सम्बन्ध (Relation Between the Union and the States)

- संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार **भारत अर्थात इण्डिया 'राज्यों का एक संघ'** (Union of States) होगा 'संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन' संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है।
- संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान संविधान के भाग-11 अनुच्छेद 245-255 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 तथा 246 केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं।
- केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसने अपनी 1000 पृष्ण वाली रिपोर्ट 1987 ई. में भारत सरकार को सौंपी।
- संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जिनमें प्रमुख हैं–रक्षा विदेशी मामले, युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा–शुल्क, जनगणना, डाक एवं प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल–वायु तथा जल परिवहन, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनियम आदि।
- राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जिनकी संख्या 66 थी। जिनमें प्रमुख हैं–लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू–राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय, विक्रय एवं सिंचाई बेटिंग और जुआ।
- समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जिनकी संख्या पहले 47 थी। जिनमें प्रमुख हैं–राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार–पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, पशु क्रूरता।
- इन विषयों पर राज्यों एवं संघ दोनों को विधायन का अधिकार है किन्तु यदि राज्य विधि व संघीय विधि में टकराव होता है तो संघीय विधि प्रभावी होगी, यदि राज्य विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो तो राज्य में राज्य विधि ही प्रवर्तित रहेगी।
- केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के बँटवारे से सम्बद्ध विषयों पर वित्त आयोग परामर्श देता है।
- संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, परंतु इसके लिए यह प्रस्ताव राज्य सभा के कम–से–कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 के द्वारा समर्थित हो। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु उपबंध अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है, जिसमें राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर एक वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है।

- **केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर गठित आयोग/समितियाँ**
  - **(i) सीतलवाड़ समिति**
  - **(ii) राजमन्नार समिति**
  - **(iii) सरकारिया आयोग**

अनुच्छेद 263–इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन कर सकता है।

- अन्तर्राज्यीय परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- **अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है**। इसका गठन हर पाँच साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

17. योजना आयोग (Planning Commission)

- योजना आयोग एक संविधानेत्तर संस्था था। संघ ने बिना विधान 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निर्मित संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था। योजना आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री होता था, हालाँकि, 15 अगस्त, 2014 को भारत के 68वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपने अभिभाषण के दौरान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने इस आयोग को खत्म करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है।

18. राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)

- 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एवं योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् भी एक संविधानेत्तर निकाय है।

19. नीति आयोग (NITI Aayog)

- योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाये जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कही थी।
- नीति आयोग नामक नई संस्था 1 जनवरी, 2015 से अस्तित्व में आयी। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत–परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India : NITI) नाम दिया। इसे आमतौर पर 'नीति आयोग' नाम से जाना जाता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के **थिंक टैंक** (बौद्धिक संस्थान) के रूप में कार्य करेगा।
- यह केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभायेगा।
- यह आयोग केन्द्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद् (Governing Council) में शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer : CEO) का प्रावधान किया गया है।

नीति आयोग : एक दृष्टि में (वर्तमान में)

- **अध्यक्ष**–नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)
- **उपाध्यक्ष**–राजीव कुमार (अर्थशास्त्री)
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** (CEO)–अमिताभ कांत
- **पूर्ण कालिक सदस्य**–प्रो. विवेक देवराय, वी. के. सारस्वत, रमेश चन्द्र

20. निर्वाचन आयोग (Election Commission)

संविधान के **भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 A** के बीच निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध किया गया है।

निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।

- **61वें संविधान संशोधन, 1989 द्वारा निर्वाचन के लिए 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया)।**
- 1966 से केवल उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी की सुनवाई का अधिकार है। इसकी अपील उच्चतम् न्यायालय में होती है।

निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों, जिन्हें समय–समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है, से मिलकर बनता है।

निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा उनकी कार्यविधि को निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** तक, इनमें से जो भी पहले हो, होता है।

अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, परन्तु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) 25 जनवरी** को मनाया जाता है।

वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ पूरी करनी होंगी–

I. यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में **वैध मतों** का **6%** प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी **राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट** प्राप्त करता है।

II. यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य तीन अलग राज्यों से चुने जाते हैं।

III. यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(i) आम चुनाव–नियमित अन्तराल, अर्थात् हर 5 वर्ष में होने वाले लोकसभा व विधानसभा के चुनावों को आम चुनाव कहते हैं।

(ii) मध्यावधि चुनाव–कार्यकाल के पहले ही लोकसभा, विधानसभा भंग हो जाने पर कराये जाने वाले चुनाव।

(iii) उपचुनाव–किसी लोकसभा/विधानसभा सदस्य की मृत्यु या किसी कारणवश सीट खाली होने के कारण कराये जाने वाले चुनाव।

21. राजभाषा (Official Language)

14 सितम्बर, 1949 ई. को हिन्दी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक **14 सितम्बर** को **'हिन्दी दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

संविधान के **भाग XVII** में **अनुच्छेद 343 से 351** तक राजभाषा के सम्बन्ध में उपबंधों का वर्णन है।

- **अनुच्छेद 343** के अनुसार संघ की **राजभाषा हिन्दी** और **लिपि देवनागरी** होगी।
- वर्ष 1965 में हिन्दी संघ की राजभाषा के प्रभाव में आयी।
- **अनुच्छेद 344** के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है,
- **राजभाषा समिति (Official Language Commission)**

  इसमें लोकसभा के **20 एवं राजसभा के 10 सदस्य होते हैं,** जो राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं।

  प्रथम राजभाषा आयोग का गठन **1955** में **बी. जी. खेर** की अध्यक्षता में किया गया था।

  अनुच्छेद 348 के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम् न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अंग्रेजी भाषा में होगी।

  2019 भारत में छः भाषाओं अर्थात् तमिल, तेलगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा

क्रम संख्या	भाषा	घोषणा–वर्ष
1.	तमिल	2004
2.	संस्कृत	2005
3.	तेलुगू	2008
4.	कन्नड	2008
5.	मलयालम	2013
6.	ओड़िया	2014

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएँ

असमिया	बंगला	गुजराती	हिन्दी
कन्नड़	कश्मीरी	कोंकणी	मलयालम
मणिपुरी	मराठी	नेपाली	ओड़िया
पंजाबी	संस्कृत	सिंधी	तमिल
तेलुगू	उर्दू	डोगरी	बोडो
मैथिली	संथाली		

(i) 21वाँ संविधान संशोधन, 1967 : सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
(ii) 71वाँ संशोधन, 1992 : कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया।
(iii) 92वाँ संशोधन, 2003 : डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया।

22. लोक सेवा आयोग (Public Service Commission)

संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है।

- भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहते हैं। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रह सकते हैं। वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल।
- भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 'भारत सरकार अधिनियम 1919'' के आधार पर 1926 में की गई थी। 1935 में इसका नाम बदल कर लोक सेवा आयोग किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख है। भारत में ''सिविल सर्विस'' परीक्षाओं की शुरूआत 1922 में हुई।

लोक सेवाओं का वर्गीकरण

भारत में तीन प्रकार की लोक सेवाएँ होती हैं–अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय सेवाएँ और राज्य सेवाएँ।

ब्रिटिश ढाँचे के आधार पर 1951 को भारत में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लाया गया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की शुरूआत की गई। 1963 में इस अधिनियम में तीन और सेवाएँ जोड़ी गईं। भारतीय वन सेवा (IFS), भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) और भारतीय स्वास्थ्य सेवा (IMHS)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 315** – संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन।
- **अनुच्छेद 316** – UPSC के साथ–साथ SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
- **अनुच्छेद 317** – UPSC या SPSC दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना।
- **अनुच्छेद 318** – आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 319** – आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 320** – लोक सेवा आयोगों के कार्यो का वर्णन।
- **अनुच्छेद 322** – लोक सेवा आयोगों के व्यय।
- **अनुच्छेद 323** – लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

संघ और राज्य सेवा आयोग के कार्य

- **परीक्षा आयोजित कराना** – संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएँ।
- **SPSC को सहायता** – यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार

करने और संचालन करने में मदद करे, जिसके लिये विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीद्वारों की आवश्यकता होती है।

- PSC के साथ परामर्शरू UPSC और SPSC निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है–
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर।
- उम्मीद्वारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में।
- भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर।
- लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे।

23. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes-NCSC & ST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes-NCSC)

NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियाँ (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग के सन्दर्भ में प्रावधान किया गया है।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच और निगरानी कर सकता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सलाह देना का अधिकार रखता है।

आयोग के लिए प्रारम्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामित किया गया।

65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष, 2004 में दो अलग–अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes-NCSC) और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes-NCST) का गठन किया गया।

वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- अनुच्छेद 16 (4 A) यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक क्षमता के साथ ध्यान में रखा जायेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसथा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनूसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से सम्बन्धित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से सम्बन्धित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

24. राष्ट्रीय आपात (National Emergency)

संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक देश में आपातकाल के लिए उपबंधों का वर्णन है।

44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया। भारत में 25 जून, 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था।

- राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् 6 माह से अधिक नहीं रह सकती।

I. राष्ट्रपति शासन (President's Rule)

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है। यदि संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में, आपातकाल की घोषणा हुई है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है, कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

II. वित्तीय आपात (Financial Emergency)

अनुच्छेद 360 आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है।

अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में अपवादस्वरूप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा **मई, 1987 में 5 वर्षों** के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश एवं केरल में सर्वाधिक बार (9 बार) राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है

अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा मूल प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर, राष्ट्रपति, संविधान के भाग-III में वर्णित सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।

नोट : फखरुद्दीन अली अहमद वह राष्ट्रपति थे, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया था।

25. जिला प्रशासन (District Administration)

जिला, प्रशासन की बुनियादी इकाई है। जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में, विभागीय आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राज्य सरकार का एक अधिकारी है। उनके पास विस्तृत शक्तियाँ और बहुविध जिम्मेदारियाँ हैं। कई तरह से, वह कानून और अधिकार के मुख्य संरक्षक हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन चलाया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के मुख्य कार्य को मोटे तौर पर विकास और जन कल्याण गतिविधियों, जिलाधिकारी के रूप में जिले के राजस्व अधिकारी/न्यायालय के समन्वय और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था कार्यों के समन्वय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

I. जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate)

जिला मजिस्ट्रेट जिले में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देख-रेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। जिले में जेलों और लॉक–अप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार हैं।

II. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ई)/एडीएम (वित्त और राजस्व)/एडीएम (न्यायिक) (Additional District Magistrat (E) /ADM (Finance and Revenue/ADM (Judicial)

जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का पद बनाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट में भी नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ही शक्तियाँ निहित होती हैं।

III. उप–जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) (Sub District Magistrate) (SDM)

उप जिला मजिस्ट्रेट अपने उपखंड में एक लघु जिला मजिस्ट्रेट है। असल में, कोई राजस्व कानून के तहत, उसमें कलेक्टर की शक्तियों ही निहित होती हैं।

IV. तहसीलदार और नायब–तहसीलदार (Tehsildar and Nayab Tehsildar)

तहसील के प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है, हालाँकि, तहसीलदार और एक नायब–तहसीलदार के राजस्व और मजिस्ट्रेटिक कर्त्तव्यों में कोई अंतर नहीं है, राजस्व मामलों में, दोनों सहायक कलेक्टर, ग्रेड II की शक्तियों का उपयोग सर्कल राजस्व अधिकारियों के रूप में करते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए, तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

V. कानूनगो (Kanungo)

एक कानूनगो के कर्त्तव्यों में पटवारियों के काम की निगरानी करना है। वह तहसीलदार/नायब–तहसीलदार और पटवारी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

VI. पटवारी (Patavari)

पटवारी गाँव के स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि है। उनके पास आमतौर पर एक या दो गाँव है। उनका स्थानीय ज्ञान इतना व्यापक है, कि गाँव और उसके रहने वाले सभी लोगों की जानकारी रखते हैं। उन्हें कलेक्टर के आँखों और कानों के रूप में देखा जाता है। पटवारी के कर्त्तव्यों में सर्वेक्षण, क्षेत्रीय निरीक्षण, फसलों की रिकॉर्डिंग, नक्शे का संशोधन या उत्परिवर्तन, विभाजन, राजस्व या किराए, ताकावी आदि से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं। कलेक्टर के आदेशों के तहत वह अधिकारों के रिकॉर्ड तैयार करता है। संकट में या जनगणना कार्यों में कृषक को राहत प्रदान करने में उन्हें सहायता करता है।

26. प्रमुख संविधान संशोधन (Important Constitutional Amendments)

- **पहला संशोधन** (1951 ई.)–इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित मौलिक अधिकारों को लागू किये जाने सम्बन्धी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबन्ध की व्यवस्था की गई। साथ ही, इस संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अन्तर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।
- **दूसरा संशोधन** (1952 ई.)–इसके अन्तर्गत 1951 ई. की जनगणना के आधार पर लोक सभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
- **तीसरा संशोधन** (1954 ई.)– इसके अन्तर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की तैतीसवीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है।
- **चौथा संशोधन** (1955 ई.)–इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किये जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में परीक्षा नहीं कर सकता।
- **छठा संशोधन** ((1956 ई.)– इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची का संघ सूची में परिवर्तन कर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं पर केन्द्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया।
- **सातवाँ संशोधन** (1956 ई.)–इस संशोधन द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले का तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही, इनके अनुरूप केन्द्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
- **बारहवाँ** (1962)–पुर्तगाली आधिपत्य वाले केन्द्रशासित प्रदेश गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया।
- **तेरहवाँ** (1962)–नागालैण्ड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया, कुछ विशेष उपबन्ध के साथ।
- **चौदहवाँ** (1962)–पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया।

- **छब्बीसवाँ** (1971)–राजाओं की उपाधियाँ, प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त।
- **इकत्तीसवाँ** (1973)–लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है।
- **छत्तीसवाँ** (1975)–सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **उन्तालीसवाँ** (1975)–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **बयालीसवाँ** (1976)–प्रस्तावना में **पंथनिरपेक्ष**, **समाजवादी** और **अखण्डता** शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश।
  संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद–43A जोड़ा गया था तथा इस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी।
- **चवालीसवाँ** (1978)–सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा।
- **अट्ठावनवाँ** (1987)–भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान।
- **इकसठवाँ** (1989)–मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- **उनहत्तरवाँ** (1991)–दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधानसभा की स्थापना की गई।
- **सत्तरवाँ** (1992)–दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधान सभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **इकहत्तरवाँ** (1992)–आठवीं अनुसूची में कोंकणी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया।
- **तिहत्तरवाँ** (1993)–पंचायती राज।
- **चौहत्तरवाँ** (1992)–नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में बारहवीं सूची जोड़ी गई।
- **पिचासीवाँ** (2002)–सरकारी सेवाओं में अनुसूचित/जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था।
- **छियासीवाँ** (2002)–राज्य द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- **बयानवेवाँ** (2003)–संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश।
- **तिरानवेवाँ** (2006)–निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण।
- **चौरानवेवाँ** (2006)–अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मन्त्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ–साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड में भी किया गया।
- **पंचानवेवाँ** (2010)–अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा/राज्य की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष (10 वर्ष के लिए)
- **छियानवेवाँ** (2011)–"उड़िया" भाषा को "ओडिया" में परिवर्तित किया गया।
- **सत्तानवेवाँ** (2012)–अनुच्छेद 19 (1) (C) में "सहकारी समितियाँ" शब्द जो जोड़ा गया।
- **अठानवेवाँ** (2012)–हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना, कर्नाटक के राज्यपाल को विकसित करने के लिए।
- **निन्यानवेवाँ** (2014)–सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर) की स्थापना हेतु।
- **सौवाँ** (2015)–भारत–बाँग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण समझौते से सम्बन्धित।
- **एक सौ एकवाँ** (2016)–वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- **एक सौ दोवाँ** (2018)–पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा
- **एक सौ तीनवाँ** (2019)–सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े को 10% **आरक्षण**
- **एक सौ चारवाँ** (2019)–इसमें एंग्लो–इंडियन समुदाय का नामांकन समाप्त कर दिया गया।

महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

1. "धर्मनिरपेक्ष" शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्ताव) का एक भाग है–
(A) 44वें संशोधन के बाद
(B) 73वें संशोधन के बाद
(C) कार्यान्वयन की तिथि से
(D) 42वें संशोधन के बाद

2. संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है–
(A) सर्वसत्ताधारी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
(B) समाजवादी, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
(C) लोकतान्त्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य
(D) सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य

3. लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए–
(A) 21 वर्ष (B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष (D) 35 वर्ष

4. निम्नलिखित समितियों में से कौन–कौन सी संसदीय समितियाँ हैं ?
1. लोक लेखा समिति
2. प्राक्कलन समिति
3. सरकारी उपक्रम समिति
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
(A) 1 और 2 (B) 1 और 3
(C) 2 और 3 (D) 1, 2 और 3

5. भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है ?
(A) राज्यों का संघ
(B) परिसंघ
(C) परिसंघ कला
(D) एकात्मक

6. अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है ?
(A) एक बार
(B) दो बार
(C) तीन बार
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
(A) हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
(B) राज्य का राज्यपाल
(C) भारत का राष्ट्रपति
(D) भारत का मुख्य न्यायाधीश

8. मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहीत किए गए हैं ?
(A) अमेरिका
(B) आयरलैण्ड
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) रूस

9. कोलकाता में उच्चतम् न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ?
(A) 1773 का विनियामक अधिनियम
(B) 1784 का पिट्स इण्डिया अधिनियम
(C) 1793 का चार्टर अधिनियम
(D) 1813 का चार्टर अधिनियम

10. निम्नलिखित में से कौन–सा अधिनियम मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था ?
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1892
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(D) भारत सरकार अधिनियम, 1935

11. इनमें से कौन–सी भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता नहीं है ?
(A) यह एक 'लिखित' संविधान है।
(B) यह 'अनुनेय' है (इसे संशोधित किया जा सकता है), लेकिन यह 'अनम्य' भी है (कुछ भाग के रूप में, यानी, इसकी 'मूल संरचना' में संशोधन नहीं किया जा सकता है)।
(C) यह 'एकल' है (क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है), लेकिन यह 'संघीय' भी है (क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है)।
(D) इसे राज्य के राज्यपाल (सांसदों और विधायकों के परामर्श) से संशोधित किया जा सकता है।

12. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन–सा अनुच्छेद 'विधिक समता' यानी कानून के सामने समानता से सम्बन्धित है ?
(A) 14 (B) 13
(C) 17 (D) 26

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित हैं ?
(A) भारत की नागरिकता
(B) भारत में भाषाएँ
(C) भारतीय राज्यों की सीमाएँ
(D) बच्चों के लिए शिक्षा

14. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324-329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है ?
(A) चुनाव
(B) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
(C) पंचायतें
(D) एक राज्यपाल की शक्तियाँ

15. भारतीय संविधान का निम्न में से कौन–सा अनुच्छेद मानव के क्रय–विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है ?
(A) 23वाँ (B) 26वाँ
(C) 24वाँ (D) 32वाँ

16. निम्नलिखित में से कौन–सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है ?
(A) बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं।
(B) क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक शृंखला (चेन) स्थापित करते हैं।
(C) माँ–बाप की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं।
(D) सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है।

17. भारत के संविधान के ..... के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
(A) अनुच्छेद 123 (B) अनुच्छेद 121
(C) अनुच्छेद 125 (D) अनुच्छेद 127

18. भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया ?
(A) 1992 का 73वाँ संशोधन अधिनियम
(B) 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम
(C) 1993 का 74वाँ संशोधन अधिनियम
(D) 1989 का 61वाँ संशोधन अधिनियम

19. पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को_____ जिले में पेश किया गया था।
(A) बीड (B) शादनगर
(C) नागौर (D) नांदेड़

20. राज्यपाल के सन्दर्भ में कौन–सा/से कथन सही है/हैं ?
1. वह राज्य विधान परिषद् के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है।
2. वह एंग्लो–इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 तथा 2 दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

21. राज्य सभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद .....में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके।
(A) 128 (B) 198
(C) 223 (D) 249

22. भारत के केन्द्रीय रेल मंत्री को ..... की सलाह पर ..... द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(A) प्रधानमंत्री; राष्ट्रपति
(B) राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री
(C) राष्ट्रपति; लोकसभा के अध्यक्ष
(D) उपराष्ट्रपति; प्रधानमंत्री

23. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद का कार्य नहीं है ?
(A) संसद विधायी (काननू बनाने) और वित्तीय कार्य करती है (धन बिल और बजटीय कार्य); इसके अलावा, यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है
(B) संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है
(C) संसद में संविधान (यानी संशोधन शक्ति) में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है
(D) संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद् जिम्मेदार है

24. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है ?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
(C) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तरमाला

1. (D) **2.** (B) **3.** (B) **4.** (D) **5.** (A)
6. (A) **7.** (B) **8.** (A) **9.** (A) **10.** (C)
11. (D) **12.** (A) **13.** (A) **14.** (A) **15.** (A)
16. (C) **17.** (A) **18.** (A) **19.** (C) **20.** (D)
21. (D) **22.** (A) **23.** (D) **24.** (A)

अध्याय 1 हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ

1. हिन्दी भाषा

हिन्दी भारतीय गणराज्य की राजकीय और भारतीय आर्य भाषा है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 26 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों का प्रयोग करते हैं।

2. बोली

एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को 'बोली' कहा जाता है जिसे 'उप भाषा' भी कहते हैं। कहा गया है कि 'कोस–कोस पर पानी बदले, पाँच कोस पर बानी' है। हर पाँच–सात मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है।

3. उपभाषा

अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाष बन जाती है।

4. भाषा

साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अन्तर्गत कई उपभाषाएँ तथा एक भाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ होती हैं।

हिन्दी की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

निम्नांकित सारणी और इनका प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्रों से स्पष्ट हो जायेगी—

हिन्दी बोलियाँ	बोली	मुख्य क्षेत्र (जहाँ बोली जाती है)
1. पूर्वी हिन्दी	1. अवधी	लखीमपुर–खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़।
	2. बघेली	रीवा (म. प्र.), शहडोल, सतना, मैहर, नागौर, बालाघाट, मंडला, फतेहपुर, बाँदा, हमीरपुर।
	3. छत्तीसगढ़ी	छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनंदगाँव, कांकेर, सरगुजा, खैरागढ़ आदि।
2. पश्चिमी हिन्दी	1. खड़ी बोली	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बुलन्दशहर, देहरादून तथा दिल्ली का कुछ भाग।
	2. हरियाणवी	पूर्ण हरियाणा (करनाल, रोहतक, पटियाला, जींद, नाभा, हिसार) तथा दिल्ली का देहाती भाग।
	3. ब्रजभाषा	आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज तथा राजस्थान के भरतपुर, बदायूँ, बरेली।
	4. बुन्देली	छतरपुर, सागर, ओरछा, ग्वालियर, जालौन, हौशंगाबाद, हमीरपुर।
	5. कन्नौजी	कन्नौज, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, इटावा।
3. बिहारी हिन्दी	1. भोजपुरी	उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर तथा बिहार में शाहबाद, सारन और झारखण्ड में राँची, चम्पारण।
	2. मैथिली	दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर।
	3. मगही	गया, बिहार, पटना, हजारीबाग, पलामू, भागलपुर, मुंगही।
4. पहाड़ी हिन्दी	1. कुमायूँनी	नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी।
	2. गढ़वाली	गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तर काशी, श्रीनगर।
	3. नेपाली	नेपाल।
5. राजस्थानी हिन्दी	1. मारवाड़ी	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पालि, जालौर, सिरोही, किशनगढ़।
	2. जयपुरी	जयपुर (राजस्थान), अजमेर, किशनगढ़।
	3. मेवाती	अलवर, गुड़गाँव, भरतपुर, करनाल का पश्चिमी भाग, दिल्ली आदि।
	4. निमाड़ी	निमाड़, बुरहानपुर, भोपवाड़ा।
	5. मालवी	मध्य प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, रतलाम, झाबुआ, सीतामऊ तथा राजस्थान के भोपवाड़ा, देवास, होशंगाबाद।
	6. भीली	राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती स्थान।

उपरोक्त भाषाओं की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो इन भाषाओं को परिमार्जित और सुन्दर बनाती हैं।

1. **पूर्वी हिन्दी**—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

I. **अवधी (विशेषताएँ)**—अवधी में मूर्धन्य संघर्षी 'ष' का 'ख' और तालव्य 'श' का 'स' रूप उच्चारण होता है तथा 'ण' ध्वनि 'न' में बदल जाती है।

जैसे—शीतल—सीतल, भूख—भूक, रावण—रावन इत्यादि।

इसमें 'ल' ध्वनि 'र' और 'ड' ध्वनि 'र' हो जाती है।

जैसे—तलवार—तरवार, लड़का—लरिका आदि।

इसमें पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य है। इसके कवि मलिक मुहम्मद जायसी, मुल्ला दाउद तथा तुलसीदास का रामचरितमानस प्रमुख हैं।

II. **बघेली (विशेषताएँ)**—इसका प्रमुख केन्द्र रीवा होने के कारण इसे रीवाई भी कहते हैं। इसमें अवधी के 'व' का 'ब' हो जाता है।

जैसे—खावा का खाबा।

'उ', 'ओ', 'इ', 'ए' स्वरों का क्रमशः 'या' तथा 'व' हो जाता है।

जैसे—खेत का ख्यात। हमरे का हवारे।

बघेली में लोक साहित्य की दीर्घ परम्परा रही है।

III. **छत्तीसगढ़ (विशेषताएँ)**—इसका अन्य नाम 'लरिया' भी है। इसमें लिखित साहित्य का अभाव है, लेकिन लोक दृष्टि से सम्पन्न है।

संज्ञा एवं सर्वनाम में 'ए', 'व', 'ओ' ध्वनियों का 'अर', 'उ', 'इ' रूप दृष्टव्य होता है।

जैसे—बैल का बउल, कौन का कउन।

इसमें 'ड़' ध्वनि का लोप हो जाता है।

जैसे—कपड़ा का कपरा।

इसमें अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है।

जैसे—मच्छर का मछर। अनुच्छेद का अनुछेद।

'स' के स्थान पर 'छ' का प्रयोग करते हैं।

जैसे—साथ—छाथ, सीता—छीता।

2. **पश्चिमी हिन्दी**—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

I. **खड़ी बोली (विशेषताएँ)**—इसको कौरवी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे सरहिन्दी या हिन्दुस्तानी नागरी के नाम से भी जानते हैं।

खड़ी बोली में 'ऐ', 'औ' ध्वनियों का 'ए', 'ओ' हो जाता है।

जैसे—और का ओर, हैं का है।

हिन्दी में 'न' के स्थान पर खड़ी बोली में 'ण' हो जाता है।

जैसे—माना का माणा।

इसमें ड़ व ढ़ ध्वनियों का प्रयोग ड व ढ के रूप में किया जाता है।

जैसे—बड़ा का बडा।

खड़ी बोली का परिमार्जित रूप ही वर्तमान हिन्दी है जो अधिकतर हिन्दी की अध्ययन सामग्री में प्रयुक्त की जाती है। यह हिन्दी, हिन्दुस्तानी तथा उर्दू का मूल आधार रही है। इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि हुए।

II. **हरियाणवी (विशेषताएँ)**—इसे बोलने वालों में सर्वाधिक संख्या हरियाणा के जाटों की है। इसलिए इसे जाटू भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश से सम्बन्ध होने के कारण कई इसे बंगारू भी कहते हैं। हरियाणा के समस्त हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी बोल-चाल की भाषा है। अतः इसमें लिखित साहित्य का अभाव है।

III. **ब्रजभाषा (विशेषताएँ)**—पश्चिमी हिन्दी की प्रमुख भाषा ब्रज बोली है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है।

इसमें श्, स् को केवल स, श प्रयोग करते हैं। ऋ के स्थान पर रि, 'व' के स्थान पर 'म' तथा 'ण' के स्थान पर 'न' का प्रयोग किया जाता है।

साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत सम्पन्न है। भक्तिकाल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानन्द, रत्नाकर आदि प्रमुख कवि हैं।

IV. **बुन्देली (विशेषताएँ)**—इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लोक साहित्य इसमें भी पर्याप्त है। प्रसिद्ध लोक ग्रन्थ 'आल्हा' मूलतः बुन्देली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है।

प्यार सूचक के लिए 'या', 'वा' प्रत्यय जोड़ने की परम्परा है।

जैसे—बेटी—बिटिया, बेटा—बिटवा।

'य', 'ज', म', 'व' के स्थान पर 'ब' हो जाता है।

जैसे—यदि—जदि, विचार—बिचार।

V. **कन्नौजी (विशेषताएँ)**—प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नाम का एक प्रदेश था तथा इसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।

कन्नौजी भाषा में शब्दों का ओकारान्त होना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी शैली तथा वर्णमाला ब्रजभाषा के अनुरूप है।

'ऐ', 'औ' के स्थान पर 'ए', 'ओ' का प्रयोग मिलता है।

जैसे—हमारा—हमाओ, बड़ा—बड़ो, छोटा—छोटो आदि।

3. **बिहारी हिन्दी**—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

I. **भोजपुरी (विशेषताएँ)**—बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गाँव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से यह विकसित हुई है। हिन्दी प्रदेश की बोलियों में यह सर्वाधिक बोली जाती है। भोजपुरी का साहित्य बहुत ही लोकप्रिय है।

II. **मगही (विशेषताएँ)**—मगही शब्द संस्कृत मगधी का विकसित रूप है। यह अपभ्रंश से विकसित है। इसको लिखने के लिए कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है।

III. **मैथिली (विशेषताएँ)**—मिथिला देश की बोली मैथिली कहलायी। इसका विकास मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ। इसका अन्य नाम तिरुहविया भी है। विद्यापति, नागार्जुन तथा गोविन्द दास इसके प्रमुख कवि हैं।

4. **पहाड़ी हिन्दी**—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

I. **गढ़वाली (विशेषताएँ)**—उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल की भाषा

गढ़वाली है। इसमें लोक साहित्य की परम्परा रही है तथा लिखित साहित्य सीमित है। विद्वानों का मानना है कि इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है।

II. **कुमाऊँनी (विशेषताएँ)**—कुमाऊँनी उत्तराखण्ड में कुमाऊँ क्षेत्र की पहाड़ी भाषा है। हिन्दी की तरह इसका उद्‌गम भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस भाषा पर अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा; जैसे—दरद, खासी, तिब्बती के साथ राजस्थानी का भी प्रभाव है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय में अधिकतम प्रयोग के कारण इसका साहित्यिक महत्व बढ़ने लगा है। गुमानी पन्त तथा कृष्ण पाण्डेय इसके प्रमुख साहित्यकार रहे हैं।

III. **नेपाली (विशेषताएँ)**—कुछ विद्वानों ने नेपाली भाषा को पूर्वी पहाड़ी भाषा भी कहा है। इसे 'गोरखाली' व 'खसकुरा' भी कहते हैं। ये कुमाऊँनी से मिलती-जुलती होती है।

5. **राजस्थानी हिन्दी**—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

I. **मारवाड़ी (विशेषताएँ)**—प्रयोग की दृष्टि से इसका क्षेत्र अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक है। इसका साहित्य समृद्ध है। इसमें वीर, शृंगार और भक्ति अनेक रस की अनेक रचनायें प्राप्त होती हैं। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है।

II. **जयपुरी (विशेषताएँ)**—स्थानीय लोग इसे ढूँढाणी भी कहते हैं। इसमें केवल सीमित लोक साहित्य उपलब्ध है। यह जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर तथा टोंक जिलों में बोली जाती है।

III. **निमाड़ी (विशेषताएँ)**—उद्‌गम की दृष्टि से निमाड़ी बोली मालवी का एक रूप है। यह एक ऐसे पर्वतीय प्रदेश की जातियों द्वारा बोली जाती है जो अपना एक पृथक् स्थान रखती हैं।

IV. **मालवी (विशेषताएँ)**—इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका व्यवहार क्षेत्र मेवाड़ के अलावा मध्य प्रदेश तक व्याप्त है।

V. **भीली (विशेषताएँ)**—भीली को भी दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है क्योंकि यह एक पर्वतीय क्षेत्र में जाति विशेष (भील खानादेशी) के लोगों द्वारा बोली जाती है। यह अल्प विकसित है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है।

महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

1. बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है ?
(A) ब्रजभाषा (B) उपभाषा
(C) लिपि (D) क्षेत्रीय रूप

2. 'ब्रजभाषा' का केंद्रीय क्षेत्र है—
(A) लखनऊ (B) इलाहाबाद
(C) मथुरा (D) वाराणसी

3. 'बुंदेली' का क्षेत्र है—
(A) पानीपत-सोनीपत-कुरुक्षेत्र
(B) झाँसी-जालौन-दतिया
(C) आगरा-मथुरा-भरतपुर
(D) जयपुर-अजमेर-जोधपुर

4. हिन्दी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया ?
(A) 15 अगस्त, 1947
(B) 30 जनवरी, 1948
(C) 14 सितम्बर, 1949
(D) 26 जनवरी, 1950

5. आगरा किस बोली का क्षेत्र है ?
(A) अवधी (B) खड़ी बोली
(C) ब्रजभाषा (D) छत्तीसगढ़ी

6. 'ब्रज' हिन्दी की किस उपभाषा के अंतर्गत है ?
(A) पहाड़ी हिन्दी (B) पूर्वी हिन्दी
(C) पश्चिमी हिन्दी (D) राजस्थानी हिन्दी

7. पूर्वी हिन्दी क्षेत्र में कौन-सी बोली नहीं बोली जाती ?
(A) अवधी (B) छत्तीसगढ़ी
(C) जयपुरी (D) बघेली

8. हिन्दी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन-सा राज्य नहीं है ?
(A) उत्तर प्रदेश (B) बिहार
(C) झारखंड (D) महाराष्ट्र

9. कौन-सी प्राचीन भाषा नहीं है ?
(A) अपभ्रंश (B) पंजाबी
(C) प्राकृत (D) संस्कृत

10. कौन-सी बोली बिहारी की नहीं है ?
(A) भोजपुरी (B) मगही
(C) जयपुरी (D) मैथिली

11. निम्नलिखित में से कौन-सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है ?
(A) कन्नौजी (B) ब्रजभाषा
(C) खड़ीबोली (D) जयपुरी

12. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल—
(A) 500 ई. पूर्व से 1000 ई. तक
(B) 1000 ई. से 21वीं तक
(C) 1500 ई. पूर्व से 500 ई. पूर्व तक
(D) 500 ई. से 1000 ई. तक

13. जयपुरी का स्थानीय नाम है—
(A) दाशार्णी (B) बागडी
(C) ढूँढाडी (D) कूर्माञ्चल

14. निम्न में कौन-सी बोली उ. प्र. की नहीं है ?
(A) मेवाती (B) कन्नौजी
(C) भोजपुरी (D) ब्रज

15. उत्तर प्रदेश में कौन-सी भाषा नहीं बोली जाती ?
(A) ब्रजभाषा (B) कन्नौजी
(C) अवधी (D) पहाड़ी

16. किस क्षेत्र की बोली को 'काशिका' कहा गया है ?
(A) भीलवाड़ा (B) दिल्ली
(C) वाराणसी (D) सूरत

17. 'कन्नड़' का संबंध किस भाषा परिवार से है ?
(A) आर्य भाषा परिवार
(B) द्रविड़ भाषा परिवार
(C) देव भाषा परिवार
(D) भारोपीय भाषा परिवार

18. हिन्दी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ?
(A) मागधी (B) शौरसेनी
(C) ब्राचड़ (D) अर्द्धमागधी

19. लिपि की आवश्यकता होती है—
(A) भाषा बोलने में (B) भाषा लिखने में
(C) भाषा संकेत में (D) तीनों में

20. खड़ी बोली निकली है—
(A) पूर्वी हिन्दी से
(B) पश्चिमी हिन्दी से
(C) बिहारी हिन्दी से
(D) राजस्थानी हिन्दी से

उत्तरमाला

1. (B)	2. (C)	3. (B)	4. (C)	5. (C)
6. (C)	7. (C)	8. (D)	9. (B)	10. (C)
11. (D)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (D)
16. (C)	17. (B)	18. (B)	19. (B)	20. (B)

❑❑

अध्याय 1 संख्या पद्धति

संख्याएँ (Numbers)

I. **अंक (Digits)**–0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तथा 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। इन अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे–10, 123, 456, 789 इत्यादि।

II. **संख्यांक प्रणाली (Number System)**–संख्यांक प्रणाली में मुख्यतः दो प्रकार की प्रणाली निहित होती है–(i) दाशमिक अंकन प्रणाली, (ii) रोमन अंकन प्रणाली।

(i) **दाशमिक अंकन प्रणाली (Decimal Number System)**–0 से 9 अर्थात् दस अंकों के होने के कारण इसे दाशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है–(A) भारतीय संख्या प्रणाली, (B) अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली।

भारतीय संख्या प्रणाली के अन्तर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। इन संख्याओं को नीचे दी गई तालिका के अनुसार पढ़ा जाता है।

दस करोड़	करोड़	दस लाख	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
10^8	10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	$10^0=1$

उदा. : संख्या 51, 45, 42, 786 को इकयावन करोड़, पैंतालीस लाख, बयालीस हजार सात सौ छियासी पढ़ा जाता है।

1 दहाई = 10 इकाइयाँ
1 सैकड़ा = 10 दहाइयाँ
= 100 इकाइयाँ
1 हजार = 10 सैकड़ा
= 100 दहाइयाँ
1 लाख = 100 हजार
= 1000 सैकड़ा
1 करोड़ = 100 लाख
= 10,000 हजार

अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अन्तर्गत सभी संख्याओं को निम्नलिखित तालिका के अनुसार पढ़ा और लिखा जाता है।

दस मिलियन	एक मिलियन	सौ हजार	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	$10^0=1$

उदा. : संख्या 14, 542, 786 को अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में चौदह मिलियन पाँच सौ बयालीस हजार सात सौ छियासी पढ़ा जाता है।

	करोड़	दस लाख	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
14542786	1	4	5	4	2	7	8	6
	दस मिलियन	मिलियन	सौ हजार	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

(ii) **रोमन अंकन प्रणाली (Roman Number System)**–इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शायी जाती है। वर्तमान में उपयोग किये जाने वाले रोमन अंक, सात प्रतीकों पर आधारित हैं।

रोमन प्रणाली	I	V	X	L	C	D	M
हिन्दू अरेबिक प्रणाली	1	5	10	50	100	500	1000

उदा. : 25 को XXV तथा 101 को CI लिखा जाता है।

(i) किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है।

(ii) किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति तीन से अधिक बार नहीं की जाती है। संकेत V, L व D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है।

(iii) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है।

(iv) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है।

(v) संकेत V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल L, M व C में से ही घटाया जा सकता है।

सबसे बड़ी संख्याएँ एवं छोटी संख्याएँ–

इकाई–अंक 0 से 9 तक इकाई अंक होते हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 1–अंक की संख्या क्रमशः 0 तथा 9 है।

दहाई–10 से 99 तक की संख्याएँ दहाई वाली संख्याएँ होती हैं। संख्या 10, 2–अंकों की सबसे छोटी तथा 99, 2–अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

सैकड़ा–100 से 999 तक की संख्याएँ सैकड़े वाली संख्याएँ होती हैं। 3–अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्रमशः 100 तथा 999 है।

हजार–1,000 से 9999 तक की संख्याएँ हजार वाली संख्याएँ होती हैं जहाँ, 1000 सबसे छोटी 4-अंकों की संख्या तथा 9,999, 4-अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

दस हजार–10,000 से 99,999 तक की संख्याओं में 10,000 सबसे छोटी 5-अंकों की संख्या तथा 99,999, 5-अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

लाख—1,00,000 से 9,99,999 तक की संख्याएँ लाख वाली संख्याएँ होती हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्रमशः 1,00,000 तथा 9,99,999 है।

दस लाख—10,00,000 से 99,99,999 तक की संख्याएँ दस लाख वाली संख्याएँ हैं। 7-अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः 99,99,999 तथा 10,00,000 है।

1 करोड़—8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,99,999 तथा सबसे छोटी संख्या 1,00,00,000 है।

अंकों के मान—

स्थानीय मान—दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। जैसे—संख्या 4,89,765 में 6 का स्थानीय मान $6 \times 10 = 60$ होगा, जहाँ 6 को उसके स्थानीय मान अर्थात् दहाई स्थान (10) से गुणा किया गया है। इसी प्रकार उपरोक्त संख्या में 8 का स्थानीय मान 80,000 तथा 4 का स्थानीय मान 4,00,000 होता है।

वास्तविक मान—किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या होती है। जैसे—संख्या 59,438 में 9 का वास्तविक मान 9 ही होता है।

नोट—यदि दो अंकों x तथा y से बनी एक संख्या $10x + y$ है, तो x दहाई का अंक तथा y इकाई का अंक होता है।

संख्याओं की तुलना

(i) **संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो**—अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है अथवा कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होती है।

(ii) **संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर हो**—आठ अंकों वाली संख्याओं में बायें से दायें क्रमशः करोड़, दस लाख, लाख, दस हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं।

उदा. 1. : 54,29,683 और 54,29,684 में दस लाख, लाख, दस हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई के स्थानों पर लिखे अंक समान हैं तथा इकाई के स्थान पर लिखे अंकों में $3 < 4$ अथवा $4 > 3$ है। अतः

54,29,683 < 54,29,684 अथवा 54,29,684 > 54,29,683

उदा. 2. : 5403100, 2560860, 14580872, 1450378 को आरोही क्रम में लिखिये।

हल : दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में रखने पर इनका आरोही क्रम = 1450378, 2560860, 5403100, 14580872

उदा. 3. : 1329543, 2329543, 13295406, 329543 को अवरोही क्रम में लिखिये।

हल : दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में रखने पर इनका अवरोही क्रम = 13295406, 2329543, 1329543, 329543

संख्याओं का वर्गीकरण (Kinds of Numbers)

दशमलव संख्या पद्धति (Decimal System) में संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि अंकों के प्रयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है।

I. **प्राकृत संख्याएँ (Natural Numbers)**— ये संख्याएँ 1 से प्रारम्भ होती हैं और अनन्त तक जाती हैं। इनके समूह को N से दर्शाते हैं।

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$$

II. **पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers)**—जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं।

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4...\}$$

III. **सम संख्याएँ (Even Numbers)**—वे संख्याएँ जो 2 से भाज्य होती हैं, सम संख्याएँ कहलाती हैं।

$$E = \{2, 4, 6, 8, ...\}$$

IV. **विषम संख्याएँ (Odd Numbers)**—वे संख्याएँ जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएँ कहलाती हैं।

$$O = \{1, 3, 5, 7, ...\}$$

V. **पूर्णांक संख्याएँ (Integers)**—धनात्मक व ऋणात्मक चिह्न वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं।

$$I = \{...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...\}$$

VI. **अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers)**—1 से बड़ी उन सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो सके। '2' एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और रूढ़ भी है।

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, ...\}$$

VII. **परिमेय संख्याएँ (Rational Numbers)**—वे संख्याएँ जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q कोई ऐसी संख्याएँ हैं जो कि अभाज्य हैं तथा $q \neq 0$ है। इनके समूह को परिमेय संख्या (Rational Number) कहा जाता है।

$$R = \left\{.....\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -4, 0, 4, \frac{7}{5}\right\}$$

VIII. **अपरिमेय संख्याएँ (Irrational Numbers)**—वे संख्याएँ जिनको p/q के रूप में लिखना सम्भव न हो, ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी p व q परस्पर अभाज्य संख्याएँ होंगी तथा $q \neq 0$ होगा।

$$L = \{.....\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7}.....\}$$

IX. **सह अभाज्य संख्या (Co-prime Numbers)**—यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का म.स.प. 1 हो, अर्थात् 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखण्ड न हो, तो वे संख्याएँ सह-अभाजय संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. : (2, 3), (4, 5), (5, 9), (13, 14), (15, 16) आदि।

X. **पूर्ववर्ती संख्या (Predecessor Number)**—किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।

उदा. : 2014 की पूर्ववर्ती संख्या = 2014 – 1 = 2013

XI. **परवर्ती संख्या (Successor Number)**—किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है।

उदा. : 2019 की परवर्ती संख्या = 2019 + 1 = 2020

संख्याओं का सन्निकट मान

दैनिक जीवन में विशेष परिस्थितियों में संख्याओं के आकलन पर केवल अनुमानित मान प्रयोग किये जाते हैं। जैसे—राशन के मासिक व्यय का अनुमान, शादी में निमंत्रण पत्रों की संख्या का अनुमान, किसी व्यक्ति की उम्र का अनुमानित मान इत्यादि। इस अनुमानित मान को ही संख्याओं का सन्निकट मान कहा जाता है।

संख्याओं में सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए संख्याओं के स्थानीय मान को आधार माना जाता है। कुछ स्थानीय मानों के सन्निकट मान विभिन्न प्रकार से ज्ञात किये जाते हैं।

(i) **दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करना**—संख्या का दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक का आकलन करते हैं। यदि इकाई का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि इकाई का अंक 5 या उससे अधिक है, तो दहाई के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा इकाई अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 9537 का दहाई अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : दी गई संख्या का दहाई अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का आकलन किया जाता है। यहाँ, चूँकि इकाई अंक 7 है, इसीलिए संख्या में इकाई अंक शून्य तथा दहाई अंक में 1 अंक की वृद्धि होती है। अतः संख्या 9537 का दहाई अंक तक सन्निकट मान 9540 होगा।

(ii) **सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना**—संख्या का सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई के अंक का आकलन करते हैं। यदि दहाई का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि दहाई का अंक 5 या उससे अधिक है, तो सैकड़ा के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा दहाई अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 7351 का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : दी गई संख्या का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई अंक का आकलन किया जाता है। यहाँ, चूँकि दहाई अंक 5 है, इसीलिए संख्या में दहाई और इकाई अंकों के स्थान पर शून्य तथा सैकड़ा अंक में 1 अंक की वृद्धि होती है। अतः संख्या 7351 का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान 7400 होगा।

(iii) **हजार तक सन्निकट मान ज्ञात करना**—संख्या का हजार तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए सैकड़ा अंक का आकलन करते हैं। यदि सैकड़ा का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि सैकड़ा का अंक 5 या उससे अधिक है, तो हजार के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा सैकड़ा अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 53458 का हजार अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : चूँकि संख्या में सैकड़ा अंक 4 है, इसीलिए सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों के स्थान पर शून्य तथा हजार का अंक यथावत् ही रहता है। अतः संख्या 53458 का हजार अंक तक सन्निकट मान 53000 होगा।

पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers)

प्राकृत संख्याएँ शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। जब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियायें (जोड़–घटाव, गुणा, भाग) प्रयोग की जाती हैं तो अनेक गुणों का पता चलता है।

पूर्ण संख्याओं के गुण

(i) प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं।

(ii) सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य (0) है।

पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म

(i) **संवृत गुण**—यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएँ हैं, तो $a + b$ तथा $a * b$ पूर्ण संख्याएँ होंगी।

उदा. : $4 + 5 = 9$, एक पूर्ण संख्या

$4 \times 5 = 20$, एक पूर्ण संख्या

$4 - 5 = -1$, एक पूर्ण संख्या नहीं है।

$4 \div 5 = \frac{4}{5}$, एक पूर्ण संख्या नहीं है।

अतः पूर्ण संख्याएँ व्यवकलन (घटाने) तथा भाग के अन्तर्गत संवृत नहीं होती हैं।

(ii) **क्रमविनिमय गुण**—पूर्ण संख्याओं के लिए, योग तथा गुणन दोनों ही क्रमविनिमय हैं।

उदा. : $4 + 5 = 9 = 5 + 4$

$7 \times 6 = 42 = 6 \times 7$

परन्तु, $7 - 4 = 3 \neq 4 - 7$

$6 \div 2 = 3 \neq 2 \div 6$

अतः क्रमविनिमय घटाव तथा भाग के लिए उपयोगी नहीं है।

(iii) **साहचर्य गुण**—पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही साहचर्य हैं।

उदा. : $4 + (5 + 6) = 4 + 11 = 15$

$(4 + 5) + 6 = 9 + 6 = 15$

$\therefore \quad 4 + (5 + 6) = (4 + 5) + 6$

(iv) **वितरण या बंटन गुण**—

उदा. : $4 \times (5 + 8) = 4 \times 5 + 4 \times 8$

$4 \times 13 = 20 + 32$

$52 = 52$

उदाहरण से स्पष्ट है कि इसे योग पर गुणन का वितरण गुण कहते हैं।

(v) **तत्समक अवयव**—

(i) **योज्य तत्समक**—'0' को योज्य तत्समक कहा जाता है, क्योंकि यह एक मात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है।

उदा. : $5 + 0 = 5$ तथा $7 + 0 = 7$ इत्यादि।

(ii) **गुणनात्मक तत्समक**—'1' को गुणनात्मक तत्समक कहा जाता है, क्योंकि यह एक मात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है।

उदा. : $6 \times 1 = 6$ तथा $9 \times 1 = 9$ इत्यादि।

पूर्णांक

संख्या रेखा पर अंकित शून्य के दोनों ओर की समस्त ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं।

उदा. : –5, – 4, – 3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 सभी पूर्णांक संख्याएँ हैं।

संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को निम्नलिखित भाँति दर्शाया जाता है।

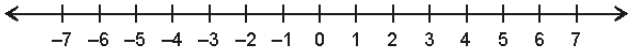

पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म

(i) **योग के लिए संवृत गुणधर्म**—किन्ही दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है और हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएँ योग के लिए संवृत होती हैं।

क्र.सं.	पूर्णांक 1	पूर्णांक 2	योगफल	योगफल पूर्णांक है/नहीं है
1.	+2	+5	+7	
2.	–3	+7		
3.	–4	+4		
4.	3	–5		

(ii) घटाव के अंतर्गत संवृत गुणधर्म–जब हम एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो उनका अंतर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है।

	कथन	प्रेक्षण
1.	$7 - 5 = 2$	परिणाम एक पूर्णांक है।
2.	$4 - 9 = -5$	.....
3.	$(-4) - (-5) =$	परिणाम एक पूर्णांक है।
4.	$(-18) - (-18) =$	.....
5.	$17 - 0 =$	.....

(iii) क्रमविनिमय गुणधर्म–हम जानते हैं कि $2 + 4 = 4 + 2 = 6$ अर्थात् पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम बदलने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है अतः क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन होता है।

व्यापक रूप में, दो पूर्णांकों a तथा b के लिए हम कह सकते हैं कि

$$a + b = b + a$$

(iv) साहचर्य गुणधर्म–पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात्

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

(v) योज्य तत्समक–किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने से योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है अतः '0' पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है।

पूर्णांकों का गुणन

(i) धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणन–

$$3 \times 4 = 4 + 4 + 4 = 12$$

$$3 \times (-4) = (-4) + (-4) + (-4) = -12$$

इस विधि का उपयोग करते हुए हमने पाया कि धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, परन्तु क्या होता है जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं ?

$(-3) \times 4 = -12 = 3 \times (-4)$ इसी प्रकार हम $(-5) \times 3 = -15 = 3 \times (-5)$ भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन–दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं तथा गुणनफल के पूर्व में (+) का चिह्न लगाते हैं।

उदाहरणत :–

$(-10) \times (-14) = 140, (-5) \times (-6) = 30$

व्यापक रूप में दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए

$$(-a) \times (-b) = a \times b$$

(iii) शून्य से गुणन–किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए

$$\boxed{a \times 0 = 0 = 0 \times a}$$

अंकों के साथ खेलना (Play with digits)

संख्याओं के साथ खेलने से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यंजक में गणनात्मक सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुये गणित की जानकारी में वृद्धि करना।

संख्याओं का विभाजकता नियम

2 से विभाजकता : यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है।

3 से विभाजकता : यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है।

4 से विभाजकता : यदि किसी संख्या के अन्तिम दो अंकों का युग्म, 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है।

5 से विभाजकता : यदि संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है।

6 से विभाजकता : यदि संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतया विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होती है।

7 से विभाजकता : संख्या का इकाई अंक लेकर उसका दोगुना करें। प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटायें। यदि प्राप्त नयी संख्या शून्य (0) अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी।

8 से विभाजकता : संख्या के अन्तिम तीन अंकों का युग्म, यदि 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी।

9 से विभाजकता : यदि संख्या के सभी अंकों को योग, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी।

11 से विभाजकता : यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अन्तर, 11 से विभाज्य है, तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी।

दशमलवीय स्थानीय मान (Decimal Place Value)

दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक–एक अंक करके पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद वाले अंक बायीं से दायीं ओर क्रमशः दसवाँ, सौवाँ, हजारवाँ, दस हजारवाँ आदि भाग होता है।

उदा. : 5821.236 में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करो।

हल :

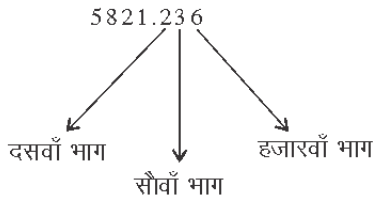

3 का जातीय मान $= 3$

3 का स्थानीय मान $= \frac{3}{100} = 0.03$

योगफल $= 3 + 0.03$

$= 3.03$

घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना (Finding the Unit Digit of a Powered Number)

I. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो किसी भी घात पर इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है।

उदा. : $(2010)^{105}$ में इकाई का अंक = 0

$(2131)^{22}$ में इकाई का अंक = 1

$(1225)^{42}$ में इकाई का अंक = 5

$(1296)^{962}$ में इकाई का अंक = 6

II. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 9 है तब

(i) **विषम घात होने पर**—अभीष्ट संख्या का इकाई का अंक अपरिवर्तित होगा।

(ii) **सम घात होने पर**—अभीष्ट संख्या में इकाई का अंक क्रमशः 6 या 1 होगा।

उदा. : $(1914)^{216}$ में इकाई का अंक = 6

$(1914)^{213}$ में इकाई का अंक = 4

$(2019)^{216}$ में इकाई का अंक = 1

$(2019)^{2013}$ में इकाई का अंक = 9

III. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो घात को 4 से भाग करो। शेषफल 1, 2, 3 या 4 होगा। (शून्य न लें) फिर इकाई के अंक को शेषफल के बराबर बार गुणा करें। प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही मूल संख्या का इकाई का अंक होगा।

उदा. 1 : $(4243)^{511}$ में $511 \div 4$ करने पर शेषफल 3 होगा।

तब 3 को 3 बार गुणा करेंगे। $3^3 = 27$। अतः अभीष्ट इकाई का अंक 7 है।

उदा. 2 : $(1996)^{5212}$ में $5212 \div 4$ करने पर शेषफल 4 (शून्य नहीं लेंगे) तब 6 को 4 बार गुणा करेंगे। $6^4 = 1296$। अतः अभीष्ट इकाई का अंक 6 है।

गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना (Finding the Unit digit in Multiplication Questions)

कुछ संख्याओं को गुणा करते हुए यदि इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो केवल इकाई के अंकों को गुणा करते रहें तथा प्रत्येक प्राप्त संख्या के दहाई के अंक को हटा दें। अंत में प्राप्त अंक ही अभीष्ट इकाई का अंक होगा।

उदा. : $468 \times 26 \times 1268 \times 34683$ में इकाई का अंक ज्ञात करो।

हल :

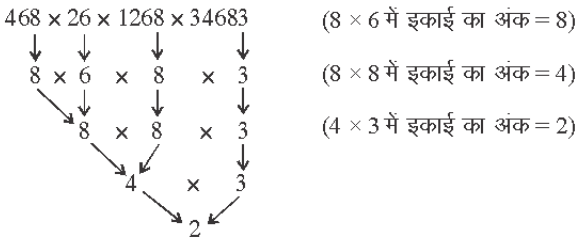

$(8 \times 6$ में इकाई का अंक = 8)

$(8 \times 8$ में इकाई का अंक = 4)

$(4 \times 3$ में इकाई का अंक = 2)

अतः अभीष्ट संख्या में इकाई का अंक 2 होगा।

लघुगुणक (Logarithm)

किसी एक संख्या का लघुगुणक वह घातांक होता है। जितनी बार हमें आधार को खुद से गुना करना हो, ताकि हमारी अपेक्षित संख्या आ सके। घातांक को कई बार घात भी कहा जाता है।

जैसे—यदि $a^y = x$ है, तो 'y' संख्या a के आधार के लिए x का लघुगुणक है।

$$a^y = x$$

$$y \log a = x$$

या $$y = \log a^x$$

लघुगुणक सूत्र—

$$\log e\,(xy) = \log e^x + \log e^y$$

$$\log e\left(\frac{x}{y}\right) = \log e^x - \log e^y$$

$$\log a^x = \frac{\log e^x}{\log e^a}$$

$$\log e^{x^n} = n \log e^x$$

द्विआधारी संख्या पद्धति (Binary Number System)

द्विआधारी संख्या पद्धति कुछ प्रमुख प्रचलित संख्या पद्धतियाँ हैं।

द्विआधारी का अर्थ 2 आधार वाला है, अर्थात् केवल दो अंकों (0 तथा 1) को काम में लाने वाली पद्धति है। इसमें संख्या का मान निकालने के लिए आधार (रेडिक्स 2) लिया जाता है। द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलने के गणितीय विधि होती है।

उदा. : $(1100)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 4 = (12)_{10}$

$(1101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (13)_{10}$

इसी प्रकार दशमलव संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं में बदलने के लिए गणितीय विधि होती है।

उदा. :

$(11)_{10}$ =

2	11	1
2	5	1
2	2	0
2	1	1

अतः $(11)_{10} = (1011)_2$

समान्तर श्रेणी (Arithmetic Progression)

समान्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद (प्रथम पद को छोड़कर) का उसके पूर्ववर्ती पद से अन्तर सदैव समान रहता हो :

अर्थात् $d = T_{n+1} - T_n$ (समान)

जैसे : 5, 10, 15, 20, ...

यहाँ $d = 10-5 = 15-10 = 20-15 = 5$ (समान)

समान्तर श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Arithmetic Progression)–

यदि किसी समान्तर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वअन्तर d तथा अन्तिम पद T_n हो, तो श्रेणी का मानक रूप होगा :

$a, (a+d), (a+2d)$ ..... $[a+(n-1)d] = T_n$

समान्तर श्रेणी का nवाँ पद (व्यापक पद)–

$T_n = a+(n-1)d$ को समान्तर श्रेणी का व्यापक (nवाँ पद) कहते हैं।

समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल (Sum of first n terms of an A. P.)–

$$S_n = \frac{n}{2}[2a+(n-1)d] \text{ या } S_n = \frac{n}{2}[a+T_n]$$

$[\text{जहाँ } T_n = a+(n-1)d]$

को समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कहते हैं।

दो राशियों के बीच समान्तर माध्य (Arithmetic mean of two numbers)– माना कि a तथा b दो राशियाँ हैं तथा उनके बीच का समान्तर माध्य A हो, तो :

$$\text{समान्तर माध्य } A = \frac{a+b}{2}$$

दो राशियों के बीच n समान्तर माध्य– माना कि दो राशियों a तथा b के बीच $A_1\ A_2$ ..... A_n समान्तर माध्य हैं, तब :

$$A_1 = a+\frac{b-a}{n+1}$$

$$A_2 = a+\frac{2(b-a)}{n+1}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$A_n = a+\frac{n(b-a)}{n+1}$$

गुणोत्तर श्रेणी
(Geometric Progression)

जब किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व के पदों को एक नियत राशि का गुणा करने पर प्राप्त होता हो, तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इस नियत राशि को सार्वअनुपात r कहते हैं।

जैसे : 21, 63, 189 .....

गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Geometric Progression)– यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअनुपात r हो, तो श्रेणी का मानक रूप होगा :

$$a, ar, ar^2 \text{ ..... } ar^{n-1}$$

यहाँ सार्वअनुपात $r = \frac{ar}{a}$ होगा।

गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद (nवाँ पद)–

$$T_n = ar^{n-1}$$

गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean)–यदि तीन राशियाँ a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हों, तो बीच की राशि b को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। इनके बीच का सम्बन्ध निम्नानुसार होता है–

$$b^2 = ac \text{ या } b = \sqrt{ac}$$

यहाँ गुणोत्तर माध्य को G द्वारा दर्शाया जाता है।

अत: $\quad G = b = \sqrt{ac}$

दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य– यदि दो राशियों a तथा b के बीच G_1, G_2 ..... G_n कुल n गुणोत्तर माध्य हों, तो :

$$G_1 = ar \qquad \text{जहाँ } r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

$$G_2 = ar^2$$

$$G_3 = ar^3$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$G_n = ar^n$$

गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल–

(i) $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$ जहाँ $r > 1$

(ii) $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ जहाँ $r < 1$

गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के रूप में गुणोत्तर श्रेणी का योगफल–

$$S_n = \frac{T_n \cdot r - a}{r-1}$$

हरात्मक श्रेणी
(Harmonic Progression)

ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम उसी क्रम में लेने पर समान्तर श्रेणी प्राप्त होती हो, हरात्मक श्रेणी कहलाती है।

हरात्मक श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Harmonic Progression)–

$$\frac{1}{a}, \frac{1}{a+d}, \frac{1}{a+2d} \text{ ..... } + \frac{1}{a+(n-1)d}$$

हरात्मक श्रेणी का व्यापक पद (nवाँ पद)–

$$T_n = \frac{1}{a+(n-1)\ d}$$

हरात्मक माध्य (Harmonic Mean)–दो राशियों a तथा b के बीच हरात्मक माध्य H हो, तो :

$$H = \frac{2ab}{a+b}$$

तीन राशियों के हरात्मक श्रेणी में होने का प्रतिबन्ध–a, b, c तीन राशियों का हरात्मक श्रेणी में होने का प्रतिबन्ध

$$\frac{a}{c} = \frac{a-b}{b-c}$$

दो राशियों के बीच n हरात्मक माध्य–माना कि a तथा b दो राशियों के बीच H_1, H_2 ..... H_n, n हरात्मक माध्य हों, तो :

$$H_1 = \frac{a}{1+ad}$$

$$H_2 = \frac{a}{1+2ad} \qquad \left[\text{जहाँ } d = \frac{a-b}{(n+1)ab}\right]$$

$$H_3 = \frac{a}{1+3ad}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$H_n = \frac{a}{1+nad}$$

समान्तर माध्य (A), गुणोत्तर माध्य (G) तथा हरात्मक माध्य (H) के बीच सम्बन्ध–

$$G^2 = AH$$

नोट (Note) : हरात्मक श्रेणी के प्रश्न हल करने के लिए इनके पदों का क्रमिक रूप से व्युत्क्रम लेकर इसके संगत समान्तर श्रेणी बनाते हैं। तत्पश्चात् समान्तर श्रेणी के सूत्रों का प्रयोग कर उसे हल करते हैं। अन्त में हल का व्युत्क्रम कर देते हैं।

महत्वपूर्ण सूत्र (Important Formulae)

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$
- $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab\,(a+b)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab\,(a-b)$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- यदि $a+b+c=0$ हो, तब $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- $(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(c+a)$
- किन्हीं दो समुच्चय A तथा B के लिए सूत्र निम्नवत् है–

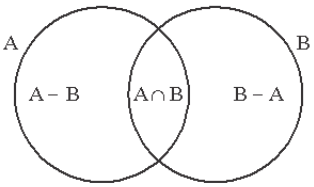

(i) $n(A-B) + n(A \cap B) = n(A)$

(ii) $n(B-A) + n(A \cap B) = n(B)$

(iii) $n(A \cup B) = n(A-B) + n(A \cap B) + n(B-A)$

(iv) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

- $\Sigma n = 1 + 2 + 3 + \ldots\ldots\ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$
- $\Sigma n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots\ldots + n^2 = \dfrac{1}{6} n\,(n+1)\,(2n+1)$
- $\Sigma n^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots\ldots + n^3 = \left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$

महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

1. $3^{53} - 6^{38} + 27^{56}$ को हल करने के बाद प्राप्त संख्या में इकाई स्थान पर अंक बताइए–
(A) 4 (B) 2
(C) 8 (D) 6

2. एक लड़का 1 से 15 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को दो बार जोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे संख्याओं का योग 134 मिलता है। वह संख्या कौन-सी है, जो दो बार जोड़ी गई है?
(A) 14 (B) 15
(C) 8 (D) 10

3. यदि 547A, 6 से विभाजित है, तो A का मान क्या होगा ?
(A) 2 (B) 7
(C) 6 (D) 3

4. $\sqrt{12} + \sqrt{3}$, $\sqrt{11} + 2$, $\sqrt{5} + \sqrt{10}$ तथा $1 + \sqrt{14}$, में सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या कौन–सी है?
(A) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{5} + \sqrt{10}$
(C) $\sqrt{11} + 2$ (D) $1 + \sqrt{14}$

5. यदि 87N4, 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो N का मान क्या होगा?
(A) 4 (B) 2
(C) 6 (D) 5

6. 2 अंकों की कितनी संख्याएँ 5 से विभाजित नहीं होंगी?
(A) 70 (B) 68
(C) 72 (D) 75

7 $3^{11} + 3^{12} + 3^{13} + 3^{14}$ किससे विभाजित नहीं है?
(A) 7 (B) 12
(C) 8 (D) 10

8. यदि संख्या 8289A56B, 30 से पूर्णतः विभाजित है तो A तथा B का योग क्या होगा?
(A) 5 (B) 3
(C) 4 (D) 6

9. 295 से 500 के बीच वह कितनी संख्याएँ हैं जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी ?
(A) 8 (B) 17
(C) 22 (D) 14

10. $\sqrt{16} + 2$, $\sqrt{19} + 1$ तथा $\sqrt{18} + \sqrt{2}$ में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है ?
(A) $\sqrt{19} + 1$
(B) $\sqrt{18} + \sqrt{2}$
(C) सभी समान हैं
(D) $\sqrt{16} + 2$

11. यदि 98A89B, 48 से विभाजित है, तो A + B का मान क्या होगा ?
(A) 8 (B) 15
(C) 9 (D) 10

12. यदि 548B, 6 से विभाज्य है, तो B का मान क्या है?
(A) 6 (B) 2
(C) 4 (D) 0

13. 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 15 विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर विज्ञान लिया, 10 ने कम्प्यूटर विज्ञान लिया, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, परंतु कम्प्यूटर विज्ञान नहीं।
(नोट–30 विद्यार्थियों की कक्षा के लिए, या तो कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स अनिवार्य है।)
(A) 15 (B) 20
(C) 25 (D) इनमें से कोई नहीं

14. यदि $P(n) : 2.4^{2n+1} + 3^{3n+1}$ सभी $\in$ N के लिए λ से विभाज्य है, तो n मान है–
(A) 11 (B) 5
(C) 7 (D) इनमें से कोई नहीं

15. एक बढ़ई को 192 खिड़कियों के ढाँचे बनाने में लिए रखा गया है। पहले दिन उसने 5 ढाँचे बनाए और प्रत्येक अगले दिन के बाद उसने पिछले दिन से 2 ढाँचे अधिक बनाए। उसे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगा?
(A) 10 दिन (B) 12 दिन
(C) 15 दिन (D) इनमें से कोई नहीं

16. 1,000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 720 उपभोक्ता A उत्पाद को पसंद करते हैं। 450 उपभोक्ता B उत्पाद को पसंद करते हैं। उपभोक्ताओं की वह न्यूनतम संख्या क्या है, जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं?

(A) 70
(B) 170
(C) 270
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. यदि $P(n) = '49^n + 16^n + k, n \in N$ के लिए 64 से विभाज्य है, तो k का न्यूनतम मान है–

(A) 0 (B) 63
(C) −1 (D) −10

18. एक व्यक्ति 20 वर्षों में ₹66,000 बचाता है। प्रत्येक क्रमिक वर्ष में वह ₹200 अधिक बचाता है, जितना उसने पिछले वर्ष बचाया था। उसने प्रथम वर्ष में कितनी बचत की?

(A) ₹1,400 (B) ₹1,000
(C) ₹1,200 (D) ₹1,300

19. कौन–सी संख्या $n(n+1)(n+2)$ के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है?

(A) 8 (B) 16
(C) 24 (D) 32

20. कौन–सी एक अभाज्य संख्या नहीं है?

(A) 101 (B) 103
(C) 137 (D) 141

21. x का मान ..... है। जहाँ $x, x+1, x+3$ सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

22. $(84)^{33} + (63)^{37} - (57)^{29}$ का इकाई अंक है :

(A) 4 (B) 6
(C) 1 (D) 0

23. $(24)^{63} + (33)^{61} - (27)^{58}$ में इकाई का स्थान में कौन–सा अंक है?

(A) 6 (B) 4
(C) 8 (D) 3

24. $(7)^{91} - (3)^{58} + (24)^{15}$ में इकाई अंक है :

(A) 6 (B) 3
(C) 2 (D) 5

25. $(4)^{31} + (36)^{81} - (243)^{26}$ में इकाई अंक है–

(A) 9 (B) 4
(C) 1 (D) 3

26. यदि $\log 8 = 0.9031$ है, तो $\log 8000 = ?$

(A) $\bar{1}.9031$ (B) 3.9031
(C) 1.9031 (D) 0.9031

27. 7 और 28 के बीच का ज्यामितिक माध्य है:

(A) 11 (B) 12
(C) 13 (D) 14

28. 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में सभी विद्यार्थी विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। परीक्षा में 40 विज्ञान में और 34 गणित विषय में पास हुए हैं। स्वाभाविक है कि कुछ विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों में पास हुए थे। केवल विज्ञान में कितने विद्यार्थी पास हुए थे?

(A) 24 (B) 16
(C) 10 (D) इनमें से कोई नहीं

29. 4 और 64 के बीच गुणोत्तर माध्य क्या है?

(A) 16 (B) 32
(C) 34 (D) 18

30. एक कक्षा में 35 विद्यार्थी कमीज और टोपी पहनते हैं, जबकि 25 विद्यार्थी कोट और टोपी पहनते हैं। यदि 10 विद्यार्थी कमीज, कोट और टोपी पहनते हैं, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है :

(A) 70 (B) 45
(C) 50 (D) 60

31. 2 से 42 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पता कीजिए।

(A) 462 (B) 426
(C) 642 (D) 624

32. $5^3 = 125$ को लॉगेरिथम तरीके से लिखिए।

(A) $\log_3 5 = 125$ (B) $\log_5 125 = 3$
(C) $\log_3 125 = 5$ (D) $\log_5 3 = 125$

33. गुणन का गुणधर्म बताइए :

$(29 \times 3Q) \times P = 29 \times (3Q \times P)$

(A) क्रमविनिमय गुणधर्म
(B) सहचारी गुणधर्म
(C) समापन गुणधर्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. एक 100 मी. दौड़ में A, B को 5.6 मीटर से हराता है और B,C को 12.5 मीटर से हराता है तो A,C को कितने मीटर से हराता है?

(A) 18.1 मी
(B) 17. 4 मी
(C) 17.1 मी
(D) इनमें से कोई नहीं

35. एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्तियों को उत्पाद A पसंद था, 26 को उत्पाद B और 29 को उत्पाद C पसंद था। यदि 14 को A और B, 12 को C और A तथा 14 को B और C एवं 8 लोगों को सभी 3 उत्पाद पसंद थे, तो केवल C उत्पाद पसंद करने वाले कितने लोग हैं?

(A) 11 (B) 19
(C) 14 (D) इनमें से कोई नहीं

36. $\sqrt{12}+\sqrt{3}, \sqrt{11}+2, \sqrt{5}+\sqrt{10}$ तथा $1+\sqrt{14}$, में सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या कौन–सी है?

(A) $\sqrt{12}+\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{5}+\sqrt{10}$
(C) $\sqrt{11}+2$ (D) $1+\sqrt{14}$

37. 1-50 तक की सभी विषम संख्याओं, जो 3 से विभाजित होती हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मध्य में कौन–सी संख्या होगी ?

(A) 27 (B) 24
(C) 33 (D) 32

38. 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में 3 अंक कितनी बार आएगा ?

(A) 18 (B) 19
(C) 20 (D) 21

39. निम्नलिखित अनुक्रम में कितने पद होंगे–
1, 4, 7,..... जिनका कुल योग 715 हो, तो कितने पदों की आवश्यकता है ?

(A) 20 (B) 21
(C) 22 (D) 23

व्याख्यात्मक हल

1. (C) $3^{53} - 6^{38} + 27^{56}$

$(3^4)^{13} \times 3 - (6^2)^{19} + [(27)^4]^{14}$

={ इकाई अंक 1} × 3 – { इकाई अंक 6}+ { इकाई अंक 1}
= { इकाई अंक 3} – { इकाई अंक 6} +
= { इकाई अंक 1}
= { इकाई अंक 4} – { इकाई अंक 6}
= { इकाई अंक 8}
{यहाँ इकाई अंक 4 में एक हासिल लेकर 14 होगा जिससे 14 – 6 = 8}

2. (A) 1 से 15 तक की संख्याओं का योग

$= \frac{n(n+1)}{2}$

$= \frac{15 \times 16}{2}$

$= 120$

संख्या, जो दो बार जोड़ी गई है

$= 134 - 120$

$= 14$

3. (A)

```
6) 547A (912
   54
   --
    7
    6
   --
    1A
    12
   --
     ×
```

अतः A का मान 2 होगा।

4. (B) सभी संख्या का वर्ग करने पर,

(i) $\left(\sqrt{12}+\sqrt{3}\right)^2 = 15 + 2\sqrt{36}$

$= 27$

(ii) $\left(\sqrt{11}+2\right)^2 = 15 + 2\sqrt{11} \times 2$

$= 15 + 4\sqrt{11}$

(iii) $\sqrt{5}+\sqrt{10} = 15 + 2\sqrt{50}$

$= 29.2$

(iv) $1+\sqrt{14} = 15 + 2\sqrt{14}$

स्पष्ट है सबसे बड़ी संख्या $\sqrt{5}+\sqrt{10}$ है।

5. (A) 8 की विभाजकता के नियम से, संख्या के अन्तिम तीन अंक 8 से पूर्णतया विभाजित होने चाहिए–

अत: $= \frac{7N4}{8}$, $N = 1$ (×)

$= 2$ (×)

$= 3$ (×)

$= 4$ (✓)

अत: N का मान = 4

6. (C) दो अंकों की कुल संख्या $= 99 - 9 = 90$

विभाजित होने वाली संख्याएँ $= \frac{90}{5}$

$= 18$

5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएँ

$= 90 - 18 = 72$

7. (A) $= 3^{11} + 3^{12} + 3^{13} + 3^{14}$

$= 3^{11} \times [1 + 3^1 + 3^2 + 3^3]$

$= 40 \times 3^{11}$

स्पष्ट है 40×3^{11}, 7 से विभाजित नहीं होगा।

8. (C) हम जानते हैं कि 30 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक शून्य होना अनिवार्य है। अत:

$B = 0$.

3 से विभाजित होने के लिए $\frac{\text{सभी अंकों का योग}}{3} = 3$ का गुणज

$\Rightarrow \frac{38 + A + 0}{3}$

$A = 4$ रखने पर विकल्प से

$\Rightarrow \frac{42}{3}$

अत: $A + B = 4 + 0 = 4$.

9. (D) विभाजित होने वाली संख्याएँ

$= \frac{500 - 295}{3 \times 5}$

[∵ जो संख्या 15 से विभाजित होगी वह अनिवार्यत: 3 तथा 5 से विभाजित होगी।]

$= \frac{205}{15}$

$= 14$

10. (D) $\sqrt{16} + 2 = 4 + 2 = 6$

$\sqrt{19} + 1 = 4.4 + 1 = 5.4$ (लगभग)

$\sqrt{18} + \sqrt{2} = 4.3 + 1.414$

$= 5.714$ (लगभग)

अत: स्पष्ट है, $\sqrt{16} + 2$ सबसे बड़ी संख्या है।

11. (A) 98A89B, यदि 48 से विभाजित है तो इसे 16 तथा 3 से भी पूर्णत: विभाजित होना पड़ेगा।

अत: 3 की विभाजकता के नियम से,

$\Rightarrow \frac{9 + 8 + A + 8 + 9 + B}{3} = 0$, या 3,

$\Rightarrow \frac{1 + A + B}{3} = 3$

$\Rightarrow A + B = 9 - 1 = 8$

$\left[\because \frac{1 + A + B}{3} = 0 \text{ नहीं ले सकते}\right]$

क्योंकि 0 लेने से (A + B) का मान ऋणात्मक आएगा।

12. (C) 548B को 6 से भाग करने पर,

$6\overline{)548B}\,(914$

$\underline{54}$

8

$\underline{6}$

$2\boxed{B}$

$\boxed{2}\boxed{4}$

अत: B का मान 4 होगा।

13. (A) केवल कम्प्यूटर विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी $= 10 = a$

कम्प्यूटर, विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले विद्यार्थी $= 15 - 10$

$= 5 = c$

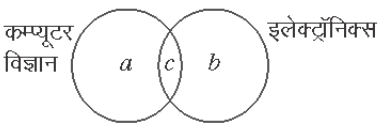

$a + c + b = 30$

$\Rightarrow 10 + 5 + b = 30$

$\Rightarrow b = 30 - 15 = 15$

14. (A) $P(n) = 2 \times 4^{2n+1} + 3^{3n+1}$

$= 2 \times 2^{2(2n+1)} + 3^{3n+1}$

$= 2^{4n+3} + 3^{3n+1}$

$P(1) = (2)^{4+3} + (3)^{3+1}$

$= (2)^7 + (3)^4$

$= 128 + 81$

$= 209$

जो 11 से विभाज्य है।

15. (B) माना, दिनों की अभीष्ट संख्या = n

प्रश्नानुसार,

$5 + 7 + 9 + \ldots\ldots n$ पदों तक $= 192$

∵ $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

$\Rightarrow 192 = \frac{n}{2}[2 \times 5 + (n-1)2]$

जहाँ $a = 5$,

$d = 7 - 5 = 2$

$\Rightarrow 192 = \frac{n}{2}[10 + 2n - 2]$

$\Rightarrow 192 = \frac{n}{2}[2n + 8]$

$\Rightarrow 192 = n(n+4)$

$\Rightarrow n(n+4) = 12 \times 16$

$= 12(12+4)$

$\Rightarrow n = 12$

16. (B) माना,

$n(A)$ = 'A' उत्पाद पसन्द करते हैं

$= 720$

$n(B)$ = 'B' उत्पाद पसन्द करते हैं

$= 450$

∵ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$\Rightarrow 1000 = 720 + 450 - n(A \cap B)$

$\Rightarrow n(A \cap B) = (720 + 450) - 1000$

$= 170$

17. (C) $P(n) = 49^n + 16^n + k$

न्यूनतम मान के लिए $n = 1$ रखने पर

$49 + 16 + k = 65 + k$

∵ $P(n)$, 64 से पूर्णत: विभाज्य है, यदि

∴ $k = -1$ हो।

18. (A) माना प्रथम वर्ष में ₹ x की बचत की गई, तो प्रश्नानुसार,

$x, x + 200, x + 400, \ldots$

जो कि एक समान्तर श्रेणी है

∴ पहली संख्या $(a) = x$

$n = 20$

$d = 200$

$S_n = 66000$

$\because \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1).d]$

$66000 = \frac{n}{2}[2x + (20-1)\,200]$

$66000 = 10\,(2x + 19 \times 200)$

$6600 = 2\,(x + 19 \times 100)$

$3300 = x + 1900$

$\therefore \quad x = ₹1400$

19. (C) $n\,(n+1)\,(n+2)$

$\because$ n एक प्राकृतिक संख्या है अतः

$n = 1, 2, 3, 4$.....

अब $n = 1$ रखने पर,

$1\,(1+1)\,(1+2) = 6,$

और यह संख्या विकल्पों में से नहीं है

अब $n = 2$ रखने पर,

$2\,(2+1)\,(2+2) = 24$

अतः अभीष्ट संख्या 24 है।

20. (D) चूँकि संख्या 141 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। विकल्पों की अन्य संख्याएं अभाज्य हैं।

21. (C) $x = 1$ रखने पर,

$1, 1+1, 1+3$

1, 2, 4 में 1 तथा 4 अभाज्य संख्याएँ नहीं है।

यदि मान शून्य रखा जाए

0, 1 , 3 ('0' अभाज्य संख्या नहीं है)

यदि मान 2 रखा जाए तो

2, 3, 5 $(4^2)^{15} \times 4 + [(36)^2]^{40} \times 36 - [(243)^5]^5 \times 243$

ये सभी अभाज्य संख्याएँ है।

यदि मान 2 रखा जाए तो

3, 4, 6 (4 तथा 6 अभाज्य संख्या नहीं है)

22. (D) $(84)^{33} + (63)^{37} - (57)^{29}$

$= [(84)^2]^{16} \times 84 + [(63)^4]^9 \times 63 - [(57)^4]^7 \times 57$

$=$ [इकाई अंक 6] $\times 84 +$ [इकाई अंक 1] $\times 63 -$ [इकाई अंक 1] $\times 57$

$=$ इकाई अंक 4 + इकाई अंक 3 – इकाई अंक 7

$=$ इकाई अंक 0

23. (A) $(24)^{63} + (33)^{61} - (27)^{58}$

$\Rightarrow [(24)^2]^{31} \times 24 - [33^5]^{12} \times 33 - [(27)^4]^{14} \times 27 \times 27$

$\Rightarrow$ [इकाई अंक 6] $\times 24 -$ [इकाई अंक 3] $\times 33 -$ [इकाई अंक 1] $\times 729$

$\Rightarrow$ इकाई अंक 4 – इकाई अंक 9 – इकाई अंक 9

$=$ इकाई अंक 6 (यहाँ इकाई अंक 4 में 2 हासिल लेकर 24 प्राप्त होगा जिससे $24 - 9 - 9 = 6$)

अतः विकल्प (A) सही है।

24. (A) $(7)^{91} - (3)^{58} + (24)^{15}$

$= (7^4)^{22} \times 7^3 - (3^5)^{11} \times 3^3 + [(24)^2]^7 \times 24$

$=$ (इकाई अंक 1) $\times$ (343) – (इकाई अंक 3) $\times 27 +$ (इकाई अंक 6) $\times 24$

इकाई अंक 3 – इकाई अंक 1 + इकाई अंक 4 = इकाई अंक 6

अतः विकल्प (A) सही है।

25. (C) $(4)^{31} + (36)^{81} - (243)^{26} \times 243$

(इकाई अंक 6) $\times 4 +$ (इकाई अंक 6) $\times$ 36 – (इकाई अंक 3) $\times$ 243

(इकाई अंक 4) + (इकाई अंक 6) – (इकाई अंक 9)

= इकाई अंक 1

अतः विकल्प (C) सही है।

26. (B) 8000 में अंकों की संख्या = 4

$\therefore$ पूर्णांश $= 4 - 1 = 3$

$\therefore \quad \log 8 = 0.9031$

$\log 8000 = 3.9031$

27. (D) ज्यामितीय माध्य $= \sqrt{7 \times 28}$

$= 14$

28. (B) दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी

$= 40 + 34 - 50$

$= 24$

विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी $= 40 - 24$

$= 16$

29. (A) 4 एवं 64 के बीच गुणोत्तर माध्य

$= \sqrt{4 \times 64}$

$= 2 \times 8$

$= 16$

30. (C) $n(A) = 35$

$n(B) = 25$

$n(A \cap B) = 10$

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या

$= n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 35 + 25 - 10$

$= 50$

31. (A) 2 से 42 तक की सम संख्या = 2, 4, 6, 8, ... 42

सम संख्या $n = \frac{\text{अंतिम पद} - \text{प्रथम पद}}{\text{सार्वअन्तर}} + 1$

$= \frac{42-2}{4-2} + 1$

$= 21$

प्रथम n सम संख्याओं का योगफल

$= n\,(n+1)$

$\therefore$ प्रथम 21 सम संख्याओं का योगफल

$= 21\,(21 + 1)$

$= 21 \times 22$

$= 462$

32. (B) यदि $a^x = N$, तो $x = \log_a N$

$\therefore 5^3 = 125$

$\Rightarrow 3 = \log_5 125$

33. (B) यह सहचारी गुणधर्म है

$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

34. (A) A तथा B के बीच की दूरी = 5.6 मी.

B की स्थिति $= 100 - 5.6$

$= 94.4$ मी.

B तथा C के बीच की दूरी = 12.5 मी.

C की स्थिति $= 100 - (12.5 + 5.6)$

$= 81.9$ मी.

A से C तक की दूरी $= 100 - 81.9$

$= 18.1$ मी.

35. (A)

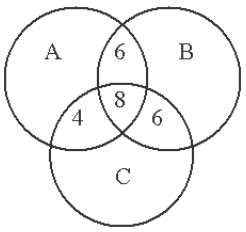

केवल उत्पाद C पसंद करने वालों की संख्या $= 29 - (4 + 6 + 8)$

$= 29 - 18$

$= 11$

36. (B) सभी संख्या का वर्ग करने पर,

(i) $\left(\sqrt{12} + \sqrt{3}\right)^2 = 15 + 2\sqrt{36}$

$= 27$

(ii) $\left(\sqrt{11} + 2\right)^2 = 15 + 2\sqrt{11} \times 2$

$= 15 + 4\sqrt{11}$

(iii) $\sqrt{5} + \sqrt{10} = 15 + 2\sqrt{50}$

$= 29.2$

(iv) $1 + \sqrt{14} = 15 + 2\sqrt{14}$

स्पष्ट है सबसे बड़ी संख्या $\sqrt{5} + \sqrt{10}$ है।

37. (A) (1-50) तक की 3 से विभाज्य विषम संख्याएँ 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45

अभीष्ट संख्या = 27

38. (C) 0 से 99 तक की सभी संख्याएँ जिनमें 3 आता है–

3, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93

अतः अभीष्ट संख्या = 20

39. (C) माना पदों की संख्या $= n$

दिया है, $S_n = 1 + 4 + 7 + ... + n$

जिसमें प्रथम पद $(a) = 1$

तथा सार्वान्तर $(d) = 4 - 1 = 3$

तब, $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

$$715 = \frac{n}{2}[2 \times 1 + (n-1)3]$$

$$1430 = n[2 + 3n - 3]$$

$$1430 = 3n^2 - n$$

$$3n^2 - n - 1430 = 0$$

$$3n^2 - 66n + 65n - 1430 = 0$$

$$3n(n-22) + 65(n-22) = 0$$

$$(n-22)(3n+65) = 0$$

$\therefore \quad n = 22$

❑❑